आईआरडीएआई (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण, पूँजी विन्यास, शेयरों का अंतरण और समामेलन) विनियम, 2024

फा.सं. भा.बी.वि.वि.प्रा./विनियम/ / /2024: बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 3, धारा 3ए, धारा 6ए, धारा 35, धारा 37ए की उप-धारा (4ए) और धारा 114ए तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 14 और धारा 26 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद, इसके द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् -

1. उद्देश्य, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और प्रयोज्यता

(1) **उद्देश्यः** बीमाकर्ता के पंजीकरण, शेयरधारिता के अंतरण, अन्य प्रकार की पूँजी, बीमाकर्ताओं के समामेलन, शेयर बाजार में बीमाकर्ताओं के शेयरों की सूचीबद्धता की प्रक्रिया को सरल बनाने के द्वारा बीमा क्षेत्र की वृद्धि का संवर्धन करना तथा व्यवसाय करने की सुगमता को बढ़ाना।

(2) **संक्षिप्त नामः** ये विनियम भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण, पूँजी विन्यास, शेयरों का अंतरण और समामेलन) विनियम, 2024 कहलाएँगे।

(3) **प्रारंभः** ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे और अधिसूचना की तारीख से प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार इनकी समीक्षा की जाएगी, जब तक समीक्षा या निरसन या संशोधन की आवश्यकता इसके पहले उत्पन्न नहीं होती।

2. परिभाषाएँ

(1) इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित नहीं होता -

(क) "अधिनियम" से बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) अभिप्रेत है;

(ख) "आवेदक" से कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 की उप-धारा (20) में यथापरिभाषित कंपनी या बीमा व्यवसाय करने के लिए संसद के अधिनियम के द्वारा स्थापित सांविधिक निकाय या सहकारी सोसाइटी अभिप्रेत है;

(ग) "प्राधिकरण" से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(घ) “सक्षम प्राधिकारी” से प्राधिकरण का अध्यक्ष या पूर्णकालिक सदस्य या पूर्णकालिक सदस्यों की समिति या अध्यक्ष के द्वारा निर्धारित किया जानेवाला (किये जानेवाले) अधिकारी अभिप्रेत है(हैं)।

(ङ) “ऋण-भार” में निम्नलिखित शामिल होंगे -

i. गिरवी, ग्रहणाधिकार, प्रभार चाहे किसी भी नाम से कहलाए।

ii. ऋण-भार के स्वरूप की कोई प्रसंविदा, लेनदेन, शर्त या व्यवस्था चाहे किसी भी नाम से कहलाए।

(च) “विदेशी निवेशक” का अर्थ वही होगा जो भारतीय बीमा कंपनियाँ (विदेशी निवेश) नियम, 2015 के नियम 2 के खंड (1) के उप-खंड (छ) में उसके लिए निर्धारित किया गया है।

(छ) “विदेशी प्रवर्तक” से ऐसे “विदेशी निवेशक” अभिप्रेत हैं जो निम्नलिखित एक या उससे अधिक शर्तों को पूरा करते हैं :

i. जिसे किसी प्रास्पेक्टस में इस प्रकार का नाम दिया गया है या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 में उल्लिखित वार्षिक विवरणी में कंपनी द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है;

ii. शेयरधारक, निदेशक या अन्य प्रकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी के कार्यों पर जिसका नियंत्रण है; अथवा

iii. जिसके परामर्श, निदेशों या अनुदेशों के अनुसार कंपनी का निदेशक बोर्ड कार्य करने का अभ्यस्त है।

बशर्ते कि उप-खंड (iii) में उल्लिखित कोई भी बात ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होगी जो केवल व्यावसायिक क्षमता में कार्य कर रहा है।

(ज) “भारतीय निवेशक” से विदेशी निवेशकों को छोड़कर अन्य “निवेशक” अभिप्रेत हैं।

(झ) “भारतीय प्रवर्तक” से अभिप्रेत है -

i. कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) में यथापरिभाषित कंपनी, जो उस अधिनियम की धारा 2 के खंड (87) में यथापरिभाषित सहायक संस्था नहीं हैः

बशर्ते कि किसी सहायक कंपनी को आवेदक का प्रवर्तक होने की अनुमति दी जा सकती है यदि वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती हैः

क. उपर्युक्त कंपनी भारत में शेयर बाजार(रों) में सूचीबद्ध है;

ख. उपर्युक्त कंपनी की निधियों का अपना स्वयं का स्रोत है, जो उसकी धारक कंपनी से स्वतंत्र है;

ग. उपर्युक्त कंपनी के पास आवेदन की तारीख से पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अंत में कम से कम रु. 500 करोड़ की निवल मालियत (नेट वर्थ) है; तथा

घ. उपर्युक्त कंपनी की धारक कंपनी किसी अन्य कंपनी की सहायक संस्था नहीं है।

ii. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 के खंड (ग) में यथापरिभाषित बैंकिंग कंपनी, परंतु इसमें भारत में कार्यरत विदेशी बैंक या उसकी शाखा शामिल नहीं है।

iii. समय-समय पर यथासंशोधित कोर निवेश कंपनियाँ (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 के अंतर्गत कोर निवेश कंपनी (सीआईसी)।

iv. कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड (72) में यथापरिभाषित सरकारी वित्तीय संस्था।

v. फिलहाल प्रचलित किसी संगत विधि के अंतर्गत पंजीकृत सहकारी सोसाइटी।

vi. सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) के अधीन बनाई गई सीमित देयता भागीदारी।

vii. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत नान-आपरेटिव वित्तीय धारक कंपनी (एनओएफएचसी)।

viii. समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा अनुमत कोई अन्य व्यक्ति या संस्था।

जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (69) में निर्दिष्ट एक या उससे अधिक शर्तों को पूरा करती है।

(ञ) **"निवेशक"** से बीमाकर्ता का शेयरधारक अभिप्रेत है जो बीमाकर्ता का प्रवर्तक नहीं है।

(ट) **"प्रबंधन के प्रमुख व्यक्ति"** के अंतर्गत बीमाकर्ता या आवेदक की कोर प्रबंधन टीम के सदस्य सम्मिलित हैं जिनमें सभी पूर्णकालिक निदेशक या प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी से एक स्तर नीचे के कार्यात्मक प्रमुख शामिल हैं जिनमें मुख्य वित्तीय अधिकारी, नियुक्त बीमांकक, मुख्य निवेश अधिकारी, मुख्य जोखिम अधिकारी, मुख्य अनुपालन अधिकारी और कंपनी सचिव आते हैं।

(ठ) **"अन्य प्रकार की पूँजी" (ओएफसी)** से यहाँ इस विनियम में विनिर्दिष्ट तरीके से बीमाकर्ता द्वारा जारी किये गये निम्नलिखित लिखत अभिप्रेत हैं : (क) अधिमानी शेयर पूँजी; या (ख) गौण कर्ज।

(ड) **“अधिमानी शेयर पूँजी”** से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 43 के स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित अधिमानी शेयर पूँजी अभिप्रेत है।

(ढ) **“प्रारंभिक व्यय”** से किसी आवेदक के निर्माण से संबंधित व्यय अभिप्रेत हैं। इनमें आवेदक के निर्माण के लिए किये गये विधिक, लेखांकन और शेयर निर्गम व्यय तथा पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने से पहले किये गये व्यय शामिल हैं।

(ण) **“निजी ईक्विटी निधि” या “पीई निधि”** में शामिल है -

i. सेबी (वैकल्पिक निवेश निधि) विनियम, 2012 के अधीन पंजीकृत वैकल्पिक निवेश निधि या उसका प्रबंधक; और/या

ii. अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाएँ केन्द्र प्राधिकरण के पास निवेश के प्रयोजन के लिए पंजीकृत कोई निधि या उसका प्रबंधक; और/या

iii. विशिष्ट रूप से निवेश के प्रयोजन के लिए बनाई गई निधियाँ जो पंजीकृत हैं, अथवा जिनका प्रबंधक किसी एफएटीएफ अनुपालक अधिकार-क्षेत्र में उपयुक्त वित्तीय क्षेत्र विनियमनकर्ता के पास पंजीकृत हैं।

(त) “प्रवर्तक” से भारतीय प्रवर्तक या विदेशी प्रवर्तक या दोनों अभिप्रेत हैं।

(थ) “विशेष प्रयोजन माध्यम” या “एसपीवी” से किसी बीमाकर्ता में निवेश करने के प्रयोजन के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अधीन पंजीकृत कंपनी अथवा सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के अधीन बनाई गई सीमित देयता भागीदारी अभिप्रेत है।

(द) “गौण कर्ज” से अभिप्रेत हैः (क) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(30) में यथापरिभाषित “डिबेंचर”; और (ख) प्राधिकरण द्वारा अनुमत किया जानेवाला कोई अन्य कर्ज लिखत।

(ध) “शेयरों का अंतरण” में वर्तमान शेयर धारक(कों) से किसी अन्य व्यक्ति को शेयरों का अंतरण सम्मिलित है तथा इसमें ईक्विटी शेयरों का प्रेषण और नया निर्गम शामिल है जो किसी बीमा कंपनी की शेयरधारिता के स्वरूप में परिवर्तन के लिए मार्ग प्रशस्त करता है।

(2) इन विनियमों में प्रयुक्त और अपरिभाषित, परंतु बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4), या बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) अथवा उनके अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों में परिभाषित सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों के अर्थ वही होंगे जो क्रमशः उन अधिनियमों, नियमों या विनियमों में उनके लिए निर्धारित किये गये हैं।

अध्याय 1: भारतीय बीमा कंपनी का पंजीकरण

3. **बीमा व्यवसाय की अनुमत श्रेणियाँ**

   आवेदक बीमा व्यवसाय के निम्नलिखित किसी एक श्रेणी के लिए पंजीकरण के आवेदन हेतु माँग-पत्र प्रस्तुत कर सकता हैः

   (i) जीवन बीमा व्यवसाय।

   (ii) साधारण बीमा व्यवसाय।

   (iii) स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय एकमात्र तौर पर।

   (iv) पुनर्बीमा व्यवसाय एकमात्र तौर पर।

4. **आवेदक के लिए निरर्हताएँ :** आवेदक निम्नलिखित परिस्थितियों में माँग-पत्र हेतु आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होगाः

   i. जहाँ आवेदन की तारीख से पूर्ववर्ती दो वित्तीय वर्षों के दौरान किसी भी समय पंजीकरण आवेदन के लिए माँग-पत्र अथवा पंजीकरण के लिए आवेदन अस्वीकृत किया गया हो; अथवा

   ii. जहाँ आवेदन की तारीख से पूर्ववर्ती दो वित्तीय वर्षों के दौरान किसी भी समय प्राधिकरण द्वारा पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया गया हो; अथवा

   iii. जहाँ आवेदक के नाम में शब्द `बीमा' (इन्श्योरेंस) या `आश्वासन' (अश्योरेंस) या `पुनर्बीमा' निहित न हों।

5. **पंजीकरण के लिए प्रक्रिया**

   (1) अनापत्ति (नो-अब्जेक्शन) प्रमाणपत्र

   i. किसी भी कंपनी या सहकारी सोसाइटी को सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त किये बिना भारत में ऐसे नाम के साथ निगमित नहीं किया जाएगा जिसमें शब्द `बीमा' (इन्श्योरेंस) या `आश्वासन' (अश्योरेंस) या `पुनर्बीमा' निहित हो।

   ii. विनिर्दिष्ट फार्मेट में आवेदक द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अनुरोध किये जाने पर आवेदक को अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किया जा सकता है।

   iii. आवेदक को जारी किया गया अनापत्ति प्रमाणपत्र 6 महीने की अवधि के लिए विधिमान्य होगा जिसके अंदर आवेदक पंजीकरण आवेदन अर्थात् फार्म आईआरडीएआई/आर1 के लिए माँग-पत्र के निर्गम हेतु आवेदन फाइल करेगाः

बशर्ते कि उक्त अनापत्ति प्रमाणपत्र की विधिमान्यता लिखित में दर्ज किये जानेवाले कारणों से तीन महीने की अतिरिक्त अवधि तक बढ़ाई जा सकती है।

(2) आर1 अनुमोदन

i. सक्षम प्राधिकारी फार्म आईआरडीएआई/आर1 के निर्गम के लिए आवेदन प्राप्त होने पर और अपने संतोष के अनुरूप संगत रूप में विषयों की जाँच करने के बाद फार्म आईआरडीएआई/आर1 जारी करेगा जो तीन महीने की अवधि के लिए विधिमान्य होगा जिसके अंदर आवेदक विधिवत् भरा गया फार्म आईआरडीएआई/आर1 प्राधिकरण को उनके विचारार्थ प्रस्तुत करेगाः

बशर्ते कि सक्षम प्राधिकारी, लिखित में कारण दर्ज करने के द्वारा फार्म आईआरडीएआई/आर1 के निर्गम के लिए आवेदन अस्वीकार कर सकता है।

परंतु आगे यह भी शर्त होगी कि सक्षम प्राधिकारी लिखित में कारण दर्ज करने के द्वारा अन्य तीन महीने तक आईआरडीएआई/आर1 की विधिमान्यता को बढ़ा सकता है।

ii. विनिर्दिष्ट पार्मेट के अनुसार फार्म आईआरडीएआई/आर1 में प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नलिखित प्रलेख होंगे-

क. किसी कंपनी के मामले में कंपनियों के रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया निगमन का प्रमाणपत्र अथवा सहकारी सोसाइटी के मामले में पंजीकरण प्रमाणपत्र;

ख. संस्था के बहिर्नियमों और संस्था के अंतर्नियमों की प्रमाणित प्रति, जहाँ आवेदक एक कंपनी है और उसे कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अधीन निगमित किया गया है; अथवा बीमा व्यवसाय संचालित करने के लिए सांविधिक निकाय स्थापित करनेवाले संसद के विधान की प्रमाणित प्रति;

ग. सहकारी सोसाइटी के मामले में, उप-विधियों की प्रमाणित प्रति;

घ. प्रवर्तक और आवेदक के निदेशकों का नाम, पता और व्यवसाय;

ङ. पिछले पाँच वर्षों तक, जैसा लागू हो, के लिए प्रवर्तक(कों) की वार्षिक रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि;

च. आवेदक के प्रवर्तक(कों) और निवेशक(कों) के बीच, जैसा लागू हो, शेयरधारकों के करार की प्रमाणित प्रतिलिपि;

छ. आवेदक के निदेशक बोर्ड द्वारा विधिवत् अनुमोदित पाँच वर्ष के लिए व्यवसाय का पूर्वानुमान, भारतीय बीमांकक संस्थान के एक फेलो सदस्य

से प्राप्त प्रमाणपत्र के साथ कि उक्त पूर्वानुमान युकितयुक्त और व्यवहार्य हैं;

ज. इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण की किसी भी मान्यताप्राप्त पद्धति के द्वारा फार्म आईआरडीएआई/आर1 के प्रसंस्करण के लिए लागू करों के साथ पाँच लाख रुपये के वापस न करने योग्य शुल्क के भुगतान के समर्थन में सबूत।

iii. सक्षम प्राधिकारी फार्म आईआरडीएआई/आर1 का प्रसंस्करण करते समय संगत समझे जानेवाले विषयों को ध्यान में रखेगा, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं, परंतु जो इन्हीं तक सीमित नहीं हैं :

क. प्रवर्तक और निवेशक कारोबार या व्यवसाय के जिन क्षेत्रों में लगे हुए हैं उनमें प्रत्येक प्रवर्तक या निवेशक के व्यवहार और कार्यनिष्पादन का सामान्य पिछला रिकार्ड;

ख. प्रवर्तकों, निवेशकों और आवेदक के प्रबंधन में निदेशकों और व्यक्तियों के आचरण और कार्यनिष्पादन का रिकार्ड;

ग. प्रवर्तकों, निवेशकों और आवेदक की वित्तीय शक्ति;

घ. प्रवर्तकों, निवेशकों और आवेदक का पूँजी-विन्यास;

ङ. आवेदक की पूँजीगत आवश्यकताएँ पूरी करनेवाले स्रोत;

च. आवेदक और उसके प्रवर्तक(कों) की शेयरधारिता का स्वरूप;

छ. ग्रामीण क्षेत्र में रहनेवाले व्यक्तियों, असंगठित क्षेत्र या अनौपचारिक क्षेत्र के कामगारों, या समाज के आर्थिक रूप से असुरक्षित या पिछड़े वर्गों तथा प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य श्रेणियों के व्यक्तियों को जीवन बीमा या साधारण बीमा या स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने का दायित्व पूरा करने के लिए आवेदक और उसके प्रवर्तकों की क्षमता;

ज. प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में मोटर वाहनों के अन्य पक्ष जोखिमों में बीमा व्यवसाय का जोखिम-अंकन करने के दायित्व को पूरा करने के लिए क्षमता;

झ. आवेदक की नियोजित बुनियादी व्यवस्था;

ञ. बीमा व्यवसाय को प्रभावी रूप में संचालित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवसाय के स्थान की स्थापना सहित, आगामी पाँच वर्षों के लिए प्रस्तावित व्यवसाय विस्तार योजना;

ट. अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए अन्य संगत विषय।

iv. सक्षम प्राधिकारी संगत समझे गये विषयों की जाँच करने और संतुष्ट होने के उपरांत, उपर्युक्त अनुमोदन पत्र में यथाविनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन "आर1" अनुमोदन जारी करेगा। उपर्युक्त अनुमोदन पत्र के साथ, आवेदक को पंजीकरण के लिए आवेदन अर्थात् फार्म आईआरडीएआई/आर2 जारी किया जाएगा।

v. उक्त "आर1" अनुमोदन उपर्युक्त अनुमोदन की तारीख से तीन महीनें की अवधि के लिए विधिमान्य होगा जिसके अंदर आवेदक प्राधिकरण के विचारार्थ विधिवत् भरा गया फार्म आईआरडीएआई/आर2 प्रस्तुत करेगा।

बशर्ते कि सक्षम प्राधिकारी लिखित में कारण दर्ज करने के द्वारा उक्त "आर1" अनुमोदन की विधिमान्यता और तीन महीने की अतिरिक्त अवधि तक बढ़ा सकता है।

(3) आर2 अनुमोदन

i. विशिष्ट फार्मेट के अनुसार फार्म आईआरडीएआई/आर2 में प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किये जाने चाहिए

क. आवेदक और उसके प्रवर्तकों के द्वारा एक शपथ-पत्र कि आवेदक की प्रदत्त शेयर पूँजी प्रारंभिक व्ययों को घटाने के बाद अधिनियम की धारा 6 की अपेक्षाओं का अनुपालन करने के लिए पर्याप्त होगी।

ख. आवेदन की तारीख की स्थिति के अनुसार यथाविद्यमान आवेदक की शेयरधारिता का स्वरूप निर्दिष्ट करते हुए एक विवरण।

ग. आवेदक के प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी या पूर्णकालिक निदेशक, आवेदक के प्रवर्तक(कों) और निवेशक(कों) के द्वारा यह प्रमाणित करते हुए एक शपथ-पत्र कि अधिनियम की धारा 2 के खंड (7ए) के उप-खंड (ख) में उल्लिखित विदेशी प्रदत्त ईक्विटी पूँजी की धारित राशि का परिकलन इन विनियमों के साथ पठित भारतीय बीमा कंपनी (विदेशी निवेश) नियम, 2015 के अनुसार किया गया है तथा वह आवेदक की कुल प्रदत्त पूँजी के चौहत्तर प्रतिशत से अधिक नहीं है।

बशर्ते कि भारतीय प्रवर्तक के एक सीमित देयता भागीदारी होने की स्थिति में ऐसे शपथ-पत्र पर प्राधिकृत भागीदार द्वारा हस्ताक्षर किये जाएँगे।

परंतु आगे यह भी शर्त होगी कि आवेदक के एक सहकारी सोसाइटी होने की स्थिति में उक्त शपथ-पत्र के द्वारा यह प्रमाणित किया जाएगा कि अधिनियम की धारा 2 के खंड (8ए) के उप-खंड (ग) में उल्लिखित

विदेशी पूँजी की धारित राशि आवेदक की कुल पूँजी के छब्बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

घ. यदि आवेदक के पास विदेशी निवेश है, तो आवेदक के प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी या पूर्णकालिक निदेशक, आवेदक के प्रवर्तक(कों) और निवेशक(कों) का यह प्रमाणित करते हुए एक शपथ-पत्र कि भारतीय बीमा कंपनी (विदेशी निवेश) नियम, 2015 की अपेक्षा का अनुपालन किया जाएगा।

ङ. यदि आवेदक के पास उनचास प्रतिशत से अधिक विदेशी निवेश है, तो आवेदक के प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यकारी निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक तथा आवेदक के प्रवर्तकों के द्वारा यह प्रमाणित करते हुए एक शपथ-पत्र कि भारतीय बीमा कंपनी (विदेशी निवेश) नियम, 2015 की अपेक्षा का अनुपालन किया जाएगा।

च. आवेदक के मानक फार्मों की एक प्रमाणित प्रति तथा बीमा पालिसियों के संबंध में आश्वासित दरों, लाभों, एवं प्रस्तावित की जानेवाली शर्तों और निबंधनों के विवरण, जीवन बीमा व्यवसाय की स्थिति में भारतीय बीमांकक संस्थान के फेलो सदस्य के द्वारा प्रमाणपत्र के साथ कि ऐसी दरें, लाभ, शर्तें और निबंधन व्यवहार्य और सुदृढ़ हैं।

छ. प्रवर्तकों और निवेशकों, यदि कोई हों, अथवा समग्र रूप में प्रवर्तकों के बीच किये गये सहमति ज्ञापन अथवा प्रबंध करार अथवा शेयरधारक करार अथवा मताधिकार करार अथवा किसी भी रूप में किये गये किन्हीं अन्य करारों की प्रमाणित प्रति, पक्षकारों के बीच विनिमय किये गये समर्थन अथवा चुकौती आश्वासन पत्रों (कम्फर्ट लेटर्स) की प्रतियों के साथ।

ज. एक सनदी लेखाकार (सीए) अथवा व्यवसायी कंपनी सचिव से यह प्रमाणित करनेवाला प्रमाणपत्र कि पंजीकरण शुल्क, ईक्विटी शेयर पूँजी, विदेशी निवेश सीमाओं से संबंधित सभी अपेक्षाओं और अधिनियम सहित फिलहाल प्रचलित विधियों की अन्य अपेक्षाओं का अनुपालन आवेदक द्वारा किया गया है।

झ. इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण की मान्यताप्राप्त किसी भी पद्धति के द्वारा फार्म आईआरडीएआई/आर2 का प्रसंस्करण करने के लिए लागू करों के साथ पाँच लाख रूपये के वापस न करने योग्य शुल्क के भुगतान के समर्थन में सबूत।

ii. फार्म आईआरडीएआई/आर2 का प्रसंस्करण समाप्त होने के बाद, परंतु प्राधिकरण के द्वारा अनुमोदन किये जाने से पहले, आवेदक निम्नलिखित का प्रस्तुतीकरण करेगाः

क. अधिनियम की धारा 6 के अनुसार आवेदक द्वारा ईक्विटी शेयर आवेदन धनराशि प्राप्त करने तथा आवेदक को प्रदान किये गये आर1 अनुमोदन की शर्तों का अनुपालन करने का साक्ष्य।

ख. आवेदक, प्रवर्तकों और निवेशकों के द्वारा एक शपथ-पत्र कि पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने के बाद, कथित शेयर आवेदन धनराशि आवेदक की प्रदत्त ईक्विटी शेयर पूँजी के रूप में परिवर्तित की जाएगी।

iii. प्राधिकरण फार्म आईआरडीएआई/आर2 का प्रसंस्करण करते समय संगत समझे जानेवाले विषयों को ध्यान में रखेगा, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं, परंतु जो केवल इन्हीं तक सीमित नहीं हैं :

क. आवेदक के द्वारा दिये जाने के लिए प्रस्तावित बीमा उत्पादों का स्वरूप;

ख. आवेदक के प्रबंधन के अंदर बीमांकिक, लेखांकन और अन्य व्यावसायिक विशेषज्ञता का स्तर;

ग. बीमा व्यवसाय के संबंध में सभी कार्य संचालित करने के लिए आवेदक की संगठनात्मक संरचना;

घ. आवेदक पात्र है तथा उनकी राय में अधिनियम के अंतर्गत लागू किये गये अपने दायित्व प्रभावी रूप में पूरा करने की संभावना है;

ङ. आवेदक के प्रवर्तकों, निवेशकों की वित्तीय स्थिति तथा प्रबंधन का सामान्य स्वरूप सुदृढ़ है;

च. आवेदक को संभवतः उपलब्ध होनेवाले व्यवसाय की मात्रा तथा पूँजी विन्यास और अर्जन की संभावनाएँ पर्याप्त होंगी;

छ. यदि आवेदन में विनिर्दिष्ट बीमा व्यवसाय की श्रेणी के संबंध में आवेदक को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया जाता है तो जनसाधारण के हितों की रक्षा की जाएगी; तथा

ज. आवेदक ने अधिनियम की धाराओं 2सी, 5 और 31ए के उपबंधों का अनुपालन किया है तथा अपने लिए लागू इन धाराओं की सभी अपेक्षाएँ पूरी की हैं।

झ. अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए सभी अन्य संगत विषय।

iv. प्राधिकरण संगत समझे जानेवाले विषयों की जाँच करने के बाद तथा स्वयं संतुष्ट होने पर अपने विवेकानुसार उपर्युक्त अनुमोदन पत्र में विनिर्दिष्ट की जानेवाली शर्तों के अधीन “आर2” अनुमोदन जारी करेगा।

(4) **पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करनाः** संगत समझे जानेवाले विषयों की जाँच करने के बाद और स्वयं संतुष्ट होने पर आवेदक को व्यवसाय की उस श्रेणी के लिए बीमाकर्ता के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है जिसके लिए आवेदक को उपयुक्त पाया गया हो तथा सक्षम प्राधिकारी आवेदक को निम्नलिखित शर्तों के अधीन फार्म आईआरडीएआई/आर3 में पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान कर सकता है:

i. आवेदक तथा उसका(उसके) प्रवर्तक और निवेशक निरंतर आधार पर “योग्य और उपयुक्त” (फिट एण्ड प्रोपर) होंगे;

ii. उक्त प्रवर्तक और निवेशक पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने की तारीख से अपनी शेयरधारिता के संबंध में विनिर्दिष्ट अवरुद्धता अवधि (लाक इन पीरियड) का अनुपालन करेंगे;

iii. आवेदक का(के) प्रवर्तक और निवेशक विनिर्दिष्ट किये जानेवाले रूप में अवरुद्धता अवधि के दौरान आवेदक के ईक्विटी शेयरों पर किसी भी ऋण-भार का निर्माण नहीं करेंगे;

iv. आवेदक के शेयरधारक अधिनियम की धारा 6ए की उप-धारा (4) के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के लिखित रूप में पूर्व-अनुमोदन के बिना बीमाकर्ता के ईक्विटी शेयरों पर किसी ऋण-भार का निर्माण नहीं करेंगे;

v. आवेदक और प्रवर्तक लगातार सभी शर्तों से आबद्ध रहेंगे तथा निवेशक ऐसी लागू शर्तों से आबद्ध रहेंगे जिनके अधीन फार्म आईआरडीएआई/आर3 जारी किया गया है;

vi. आवेदक 15 दिन के अंदर अधिनियम की धारा 6 के अनुसार अपने प्रवर्तकों और निवेशकों को शेयर आबंटित करने तथा आर1 अनुमोदन और आर2 अनुमोदन के अनुसार शर्तों का अनुपालन करने का साक्ष्य प्रस्तुत करेगा;

vii. ऐसी अन्य शर्तें जो पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने के समय उपयुक्त समझी जाएँगी।

(5) **बीमा व्यवसाय का प्रारंभः** आवेदक जिसे इन विनियमों के अंतर्गत पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया गया है, पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने से 12 महीने के अंदर बीमा व्यवसाय प्रारंभ करेगा। यदि आवेदक निर्धारित समय के अंदर व्यवसाय प्रारंभ नहीं करता, तो पंजीकरण प्रमाणपत्र विधिमान्य नहीं होगा।

बशर्ते कि यदि आवेदक 12 महीने की विनिर्दिष्ट अवधि के अंदर बीमा व्यवसाय प्रारंभ करने की स्थिति में नहीं है, तो वह उक्त समय-सीमा समाप्त होने से पहले उपर्युक्त विनिर्दिष्ट अवधि के अंदर व्यवसाय प्रारंभ न करने के लिए कारण स्पष्ट करते हुए एक लिखित आवेदन के द्वारा सक्षम प्राधिकारी से समय बढ़ाने की अपेक्षा कर सकता है।

परंतु आगे यह भी शर्त होगी कि पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने की तारीख से 24 महीने के बाद सक्षम प्राधिकारी के द्वारा कोई भी समय-विस्तार प्रदान नहीं किया जाएगा।

(6) आवेदन का अस्वीकरण

i. अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) के निर्गम के लिए आवेदन सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिखित में दर्ज किये जानेवाले कारणों से अस्वीकार किया जा सकता है।

ii. आर1 आवेदन सक्षम प्राधिकारी द्वारा अस्वीकार किया जा सकता है अथवा आर2 आवेदन प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित स्थितियों में आवेदक को अपनी बात कहने के लिए सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद अस्वीकार किया जा सकता हैः

क. जहाँ आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण नहीं है।

ख. जहाँ आवेदक ने इन विनियमों में निर्धारित रूप में शर्तें पूरी नहीं की हैं।

ग. जहाँ अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत की गई अपेक्षाएँ अथवा उसके अधीन बनाये गये विनियमों के अंतर्गत उपबंधों की अपेक्षाएँ प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर पूरी नहीं की गई हैं।

घ. लिखित में दर्ज किये जानेवाले किन्हीं अन्य कारणों से।

iii. आवेदन को अस्वीकृत करनेवाला आदेश लिखित में सक्षम प्राधिकारी के द्वारा आवेदक को वे कारण बताते हुए जिनसे आवेदन अस्वीकृत किया गया है, तीस दिन की अवधि के अंदर सूचित किया जाएगा।

iv. आवेदक, पंजीकरण के लिए जिसका आवेदन किसी भी स्तर पर अस्वीकृत किया गया है, पंजीकरण प्रमाणपत्र के लिए पात्र नहीं होगा।

(7) आवेदन को वापस लेनाः

i. आवेदक किसी भी स्तर पर आवेदन वापस लेने की अपेक्षा कर सकता है। सक्षम प्राधिकारी लिखित में दर्ज किये जानेवाले कारणों से उपर्युक्त प्रत्याहरण का अनुमोदन कर सकता है।

ii. उप-खंड (i) के अनुसार अनुरोध प्राप्त करने पर सक्षम प्राधिकारी लिखित में दर्ज किये जानेवाले कारणों से आवेदक द्वारा फाइल किये गये आवेदन को अस्वीकार कर सकता है। ऐसी स्थिति में विनियम 4 के उप-खंड (i) में उल्लिखित निरर्हता लागू होगी।

(8) **अतिरिक्त सूचना और स्पष्टीकरणः** सक्षम प्राधिकारी आवेदक से ऐसी अतिरिक्त सूचना अथवा स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने की माँग कर सकता है जो इन विनियमों के अंतर्गत आवेदन की जाँच करने के लिए संगत माना जा सकता है।

(9) **अनुमोदन के लिए शर्तें :**

i. सक्षम प्राधिकारी ऐसी शर्तें लागू कर सकता है जो अनापत्ति प्रमाणपत्र और आर1 अनुमोदन अथवा पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करते समय उपयुक्त मानी जा सकती हैं।

ii. प्राधिकरण आर2 अनुमोदन प्रदान करते समय उपयुक्त समझी जानेवाली शर्तें लागू कर सकता है।

आवेदक उन शर्तों से आबद्ध होगा जिनके अधीन उक्त अनुमोदन और/या पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया गया है।

अध्याय 2: पूँजी विन्यास

6. **अवरुद्धता अवधि (लाक-इन पीरियड)**: बीमाकर्ता के ईक्विटी शेयर निम्नानुसार अवरुद्धता (लाक-इन) के अधीन होंगेः

क्रम सं.	विवरण	निम्नलिखित क्षमता में निवेश	अवरुद्धता-अवधि (लाक-इन पीरियड)
1	आर3 (अर्थात् पंजीकरण प्रमाणपत्र) जारी करने के समय या उससे पहले निवेश	प्रवर्तक या निवेशक	आर3 प्रदान करने की तारीख से 5 वर्ष
2	आर3 प्रदान करने के बाद 5 वर्ष के दौरान निवेशः शेयर-धारिता के स्वरूप में परिवर्तन की स्थिति में	प्रवर्तक या निवेशक	निम्नलिखित में जो भी पहले होः क) निवेश की तारीख से 5 वर्ष; या ख) आर3 प्रदान करने से 8 वर्ष।

3	आर3 प्रदान करने के 5 वर्ष बाद, परंतु 10 वर्ष पहले निवेशः शेयरधारिता के स्वरूप में परिवर्तन होने की स्थिति में	प्रवर्तक	निम्नलिखित में से जो भी पहले होः क) निवेश की तारीख से 3 वर्ष; या ख) आर3 प्रदान करने से 12 वर्ष
		निवेशक	निम्नलिखित में से जो भी पहले होः क) निवेश की तारीख से 2 वर्ष; या ख) आर3 प्रदान करने से 11 वर्ष
4	आर3 प्रदान करने के उपरांत 10 वर्ष के बाद निवेशः शेयरधारिता के स्वरूप में परिवर्तन होने की स्थिति में	प्रवर्तक	निवेश की तारीख से 2 वर्ष
		निवेशक	निवेश की तारीख से 1 वर्ष

बशर्ते कि उक्त अवरुद्धता अवधि उस(उन) बीमाकर्ता(ओं) पर लागू नहीं होगी जिनके ईक्विटी शेयर भारत में शेयर बाजार(रों) में सूचीबद्ध हैं।

परंतु आगे यह भी शर्त होगी कि सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित स्थितियों में अवरुद्धता अवधि को शिथिल कर सकता हैः

i. भारत में स्थित शेयर बाजार(रों) में अपने शेयरों को सूचीबद्ध करने के लिए बीमाकर्ता को समर्थ बनाने के लिए।

ii. विपद्ग्रस्त वित्तीय स्थिति या बीमाकर्ता या शेयरधारक के समामेलन की परिस्थितियों में।

7. **योग्य और उपयुक्त मानदंडः**

(i) सक्षम प्राधिकारी संगत समझे जानेवाले कारकों के आधार पर योग्य और उपयुक्त (फिट एण्ड प्रोपर) मानदंडों के संबंध में आवेदक, उसके प्रवर्तकों और निवेशकों का मूल्यांकन करेगा, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं, परंतु जो केवल इन विनियमों की **अनुसूची 1** में विनिर्दिष्ट तक सीमित नहीं हैं।

(ii) आवेदक, प्रवर्तक और निवेशक एक निरंतर आधार पर अर्थात् पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने के बाद भी योग्य और उपयुक्त (फिट एण्ड प्रोपर) होंगे।

(iii) यदि आवेदक, उसके प्रवर्तक और/या निवेशक किसी भी स्तर पर योग्य और उपयुक्त नहीं पाये जाते, तो सक्षम प्राधिकारी उपयुक्त समझी जानेवाली कार्रवाई कर सकता है।

8. **विशेष प्रयोजन माध्यमः** यदि आवेदक का प्रवर्तन किसी विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) के द्वारा किया गया है, तो निम्नलिखित शर्तों का पालन किया जाएगाः

(i) उक्त एसपीवी ने किसी भी प्रकार के संपरिवर्तनीय लिखत जारी नहीं किये हैं और जारी नहीं करेगा;

(ii) एसपीवी के कर्मचारियों या निदेशकों को कोई शेयर विकल्प अथवा स्वेद ईक्विटी जारी नहीं किये जाएँगे;

(iii) एसपीवी के शेयरों के अंतरण के लिए सक्षम प्राधिकारी का पूर्व-अनुमोदन इन विनियमों में विनिर्दिष्ट तरीके के अनुसार अधिनियम की धारा 6ए के अंतर्गत विनिर्दिष्ट सीमाओं के अनुसार प्राप्त किया जाएगा;

(iv) इन विनियमों के अनुसार निवेश सीमाएँ, अवरुद्धता अवधि और अन्य अपेक्षाएँ एसपीवी स्तर पर भी लागू होंगी;

(v) विनियम 5 के उप-विनियम (2) के खंड (iii) के संबंध में विनिर्दिष्ट किये जानेवाले मानदंड एसपीवी के प्रवर्तक और निवेशक के लिए भी लागू होंगे;

(vi) एसपीवी के द्वारा जारी किये जानेवाले ईक्विटी शेयरों का मूल्यांकन सेबी के पास पंजीकृत किसी श्रेणी-I व्यापारी बैंकर द्वारा जारी किये गये मूल्यांकन प्रमाणपत्र के आधार पर निर्धारित कीमत पर किया जाएगा। ऐसा प्रमाणपत्र शेयरों के आबंटन की तारीख से 30 दिन पहले जारी नहीं किया जाना चाहिए। व्यापारी बैंकर ऐसे मूल्यांकन के लिए औचित्य के साथ निदेशक बोर्ड को संबोधित एक उचित रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। मूल्यांकन रिपोर्ट के महत्वपूर्ण तत्वों के साथ सारांश की प्रति साधारण बैठक की सूचना के साथ शेयरधारकों को भेजी जाएगी; तथा

(vii) एसपीवी की प्रदत्त पूँजी अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत अपेक्षित रूप में आवेदक की न्यूनतम प्रदत्त पूँजी के समान या उससे अधिक होगी।

9. **परिचालन कंपनीः** यदि आवेदक का प्रवर्तन किसी परिचालन कंपनी के द्वारा किया गया है, तो उक्त प्रवर्तक आवश्यक समुचित सावधानी के अधीन होगा, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं, परंतु जो केवल इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

(i) रूप की अपेक्षा, विषय-वस्तु के आधार पर परिचालन कंपनी के स्वरूप की जाँच;

(ii) व्यवसाय के परिचालनों, चलनिधि और लाभप्रदता का पिछला रिकार्ड;

(iii) एक निरंतर आधार पर आवेदक की व्यावसायिक और शोधन-क्षमता की आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए पूँजी जुटाने की प्रवर्तक की क्षमता; तथा

(iv) प्रवर्तक की शेयरधारिता का स्वरूप।

10. **न्यूनतम प्रदत्त ईक्विटी पूँजीः**

(क) आवेदक की न्यूनतम प्रदत्त ईक्विटी पूँजी निम्नलिखित होगीः

बीमा व्यवसाय की श्रेणी	**न्यूनतम प्रदत्त ईक्विटी पूँजी**
जीवन बीमा व्यवसाय	रु. 100 करोड़
साधारण बीमा व्यवसाय	रु. 100 करोड़
एकमात्र स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय	रु. 100 करोड़
एकमात्र पुनर्बीमा व्यवसाय	रु. 200 करोड़

(ख) आवेदक और एसपीवी की प्रदत्त ईक्विटी पूँजी, यदि कोई हो, प्रारंभिक व्यय घटाने के बाद अधिनियम की धारा 6 की अपेक्षाओं का पालन करने के लिए पर्याप्त होगी।

(ग) बीमा व्यवसाय के प्रारंभ के समय तकः

i. आवेदक और एसपीवी के ईक्विटी शेयर उनके अंकित मूल्य (फेस वैल्यू) पर जारी किये जाएँगे।

ii. उसके शेयरधारकों के द्वारा आवेदक और एसपीवी में निधियाँ लगाना आवेदक और एसपीवी में उनके ईक्विटी हित के प्रतिशत के अनुरूप होगा।

बशर्ते कि बीमाकर्ता या एसपीवी में ईक्विटी शेयरों के निर्गम की अनुमति **विनियम 19** के अनुसार व्यवसाय के प्रारंभ के बाद प्रतिभूति प्रीमियम पर जारी किये जाने के लिए दी जा सकती है, यदि उपर्युक्त निर्गम सक्षम प्राधिकारी को न्यायसंगत लगे।

11. **"प्रवर्तक" के रूप में निवेशः** किसी बीमाकर्ता में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रवर्तक की क्षमता में निवेश निम्नलिखित का अनुपालन करते हुए होगाः

i. व्यक्ति एक जीवन बीमाकर्ता, एक साधारण बीमाकर्ता, एक स्वास्थ्य बीमाकर्ता और एक पुनर्बीमाकर्ता से अधिक का प्रवर्तक नहीं होगा;

बशर्ते कि सक्षम प्राधिकारी अस्थायी आधार पर बीमा व्यवसाय की एक ही श्रेणी में लगे हुए एक से अधिक बीमाकर्ता का प्रवर्तक होने के लिए किसी व्यक्ति को अनुमति दे सकता है, यदि वह अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत प्राधिकरण के पास फाइल की गई योजना का भाग हो।

ii. उक्त व्यक्ति भविष्य में बीमाकर्ता में उसकी शोधन-क्षमता और/या व्यावसायिक अपेक्षाएँ पूरी करने के लिए पूँजी लगाने हेतु एक वचन-पत्र प्रस्तुत करेगा; तथा

iii. उक्त व्यक्ति इन विनियमों के अंतर्गत बीमाकर्ता के प्रवर्तक के रूप में कार्य करने के लिए अन्यथा पात्र है।

12. **प्रवर्तक(कों) की धारित राशिः** बीमाकर्ता के प्रवर्तक(कों) की न्यूनतम शेयरधारिता संयुक्त रूप से बीमाकर्ता की प्रदत्त ईक्विटी पूँजी के पचास (50) प्रतिशत से अधिक अनुरक्षित की जाएगी।

बशर्ते कि प्रवर्तक संयुक्त रूप से बीमाकर्ता में अपना हित बीमाकर्ता की प्रदत्त ईक्विटी पूँजी के पचास (50) प्रतिशत से नीचे लाते हुए कम कर सकते हैं, परंतु छब्बीस (26) प्रतिशत से नीचे नहीं ला सकते, यदि निम्नलिखित शर्तों का पालन किया जाता हैः

क. प्रवर्तक(कों) के हित के मंदन (डाइल्यूशन) से तत्काल पूर्ववर्ती 5 वर्ष के दौरान बीमाकर्ता के पास नियंत्रण स्तर से अधिक शोधन-क्षमता अनुपात का पिछला रिकार्ड है; तथा

ख. बीमाकर्ता के शेयर भारत में शेयर बाजार(रों) में सूचीबद्ध हैं।

परंतु आगे यह भी शर्त होगी कि किसी भी शेयरधारक का प्रवर्तक से निवेशक के रूप में, अथवा विलोमतः निवेशक से प्रवर्तक के रूप में पुनर्वर्गीकरण केवल सक्षम प्राधिकारी का पूर्व-अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही किया जाएगा।

13. **"निवेशक" के रूप में निवेशः** किसी बीमाकर्ता में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में निवेशक की क्षमता में निवेश निम्नलिखित का अनुपालन करते हुए किया जाएगाः

i. किसी एकल "निवेशक" द्वारा निवेश बीमाकर्ता की प्रदत्त ईक्विटी शेयर पूँजी के पच्चीस (25) प्रतिशत से कम होगा।

ii. संयुक्त रूप से सभी "निवेशकों" द्वारा निवेश बीमाकर्ता की प्रदत्त ईक्विटी शेयर पूँजी के पचास (50) प्रतिशत से कम होगा।

बशर्ते कि उपर्युक्त प्रतिबंध उस स्थिति में लागू नहीं होगा यदि बीमाकर्ता के ईक्विटी शेयर भारत में शेयर बाजार(रों) में सूचीबद्ध हैं।

iii. **बीमाकर्ताओं की संख्याः**

क. एक निवेशक किसी भी संख्या में निवेशकों में निवेश कर सकता है बशर्ते कि निवेश संबंधित बीमाकर्ताओं की प्रदत्त पूँजी के दस प्रतिशत से अधिक न हो।

ख. यदि निवेश बीमाकर्ताओं की प्रदत्त पूँजी के दस प्रतिशत से अधिक है, परंतु पच्चीस प्रतिशत से कम है, तो उक्त निवेशक द्वारा निवेश बीमा व्यवसाय की प्रत्येक श्रेणी में दो बीमाकर्ताओं से अनधिक संख्या तक सीमित रखा जाएगा।

iv. किसी असूचीबद्ध बीमाकर्ता में किसी निवेशक द्वारा एकबारगी (वन-टाइम) निवेश करने की स्थिति में निवेशक बीमाकर्ता को इस आशय का प्रारंभ में ही (अपफ्रंट) प्रकटीकरण करेगा। ऐसी स्थिति में, प्रवर्तक बीमाकर्ता में भविष्य में

उसकी शोधन-क्षमता और/या व्यावसायिक अपेक्षाएँ, यदि कोई हों, पूरी करने के लिए पूँजी लगाने हेतु प्राधिकरण को एक वचन-पत्र प्रस्तुत करेगा(करेंगे)।

14. निदेशक का नामांकन

क. निवेशक बीमाकर्ता के बोर्ड में किसी निदेशक का नामांकन नहीं करेगा यदि उक्त निवेशक द्वारा निवेश संबंधित बीमाकर्ता की प्रदत्त पूँजी के दस प्रतिशत से अधिक नहीं है।

ख. निवेशक बीमाकर्ता के बोर्ड में एक से अनधिक निदेशक का नामांकन कर सकता है यदि उसका निवेश संबंधित बीमाकर्ता की प्रदत्त पूँजी के 10 प्रतिशत से अधिक है।

ग. कोई भी शेयरधारक किसी बीमाकर्ता के बोर्ड में किसी निदेशक का नामांकन नहीं करेगा, यदि उसने बीमा व्यवसाय की उसी श्रेणी में कार्यरत किसी अन्य बीमाकर्ता के बोर्ड में पहले से ही किसी निदेशक का नामांकन कर दिया है।

15. प्रवर्तक और/या निवेशक द्वारा निवेश के लिए अतिरिक्त शर्तें : निवेश निम्नलिखित का भी अनुपालन करते हुए होगाः

i. निवेश पूर्णतः स्वयं की निधियों से किया जाएगा, न कि उधार ली गई निधियों से।

ii. यदि कोई भी समूह संस्थाएँ या एक ही प्रबंधन के अधीन स्थित निगमित निकाय ने भी बीमाकर्ता में निवेश किया है, तो इन विनियमों के अंतर्गत निर्दिष्ट सीमाएँ समूह स्तर पर लागू होंगी।

इस उप-खंड के प्रयोजनों के लिए अभिव्यक्तियाँ “समूह” और “एक ही प्रबंधन” के अर्थ वही होंगे जो क्रमशः अधिनियम की धारा 6ए(4)(बी)(iii) के स्पष्टीकरण के अंतर्गत दिये गये हैं।

iii. किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक से अधिक बीमाकर्ताओं में निवेश करने की स्थिति में :

क. उक्त व्यक्ति सामान्य धारिता से संबंधित तथ्य सभी निवेशिती बीमाकर्ताओं को प्रकट करेगा;

ख. उक्त व्यक्ति बीमाकर्ता के साथ हितों के संघर्ष से बचने के लिए व्यवस्था लागू करेगा जो उपर्युक्त सामान्य धारिता के कारण उत्पन्न हो सकता है; तथा

ग. उपर्युक्त व्यक्ति के द्वारा नामांकित निदेशक अन्य निवेशिती बीमाकर्ता(ओं) से संबंधित ऐसे किसी भी विषय पर चर्चाओं का विरोध करेगा, जहाँ हितों का संघर्ष उत्पन्न हो सकता है।

16. निजी ईक्विटी निधियों से निवेश के लिए मानदंडः

(i) निजी ईक्विटी निधियाँ आवेदक में इन विनियमों के अंतर्गत यथाविनिर्दिष्ट तरीके से एक प्रवर्तक या निवेशक की क्षमता में निवेश कर सकती हैं।

(ii) बीमाकर्ता की भारी पूँजीगत आवश्यकता के संबंध में प्रस्तावित सीमा सहित, बीमाकर्ता में निवेश, उसके निवेशकों या उसके चार्टर दस्तावेजों को उसके स्थानन ज्ञापन में प्रतिबिंबित पीई निधि की कार्यनीति के अनुसार होगा।

(iii) एक निजी ईक्विटी निधि किसी भी बीमाकर्ता में "प्रवर्तक" की क्षमता में निवेश कर सकती है, केवल यदि वह निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करती होः

क. पीई निधि या उसकी मूल निधि के प्रबंधक ने परिचालन के 10 वर्ष पूरे किये हैं;

ख. अपनी समूह संस्था(ओं) सहित पीई निधि के द्वारा जुटाई गई निधियाँ 500 मिलियन अमेरिकी डालर (अथवा भारतीय रुपयों में उसके समान राशि) है;

ग. पीई निधि के पास उपलब्ध निवेश-योग्य निधियाँ 100 मिलियन अमेरिकी डालर (अथवा भारतीय रुपयों में उसके समान राशि) है; तथा

घ. पीई निधि के प्रबंधक ने भारत में अथवा अन्य अधिकार-क्षेत्रों में वित्तीय क्षेत्र में निवेश किया है।

17. विदेशी प्रवर्तक और विदेशी निवेशक द्वारा धारित ईक्विटी पूँजी के परिकलन का तरीकाः

अधिनियम और इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए, आवेदक कंपनी में एक या उससे अधिक विदेशी निवेशकों और/या विदेशी प्रवर्तकों द्वारा ईक्विटी शेयरों की धारिता का परिकलन निम्नानुसार किया जाएगा और वह निम्नलिखित का कुल योग होगाः-

(i) आवेदक कंपनी में विदेशी उद्यम पूँजी निवेशक(कों) सहित, विदेशी निवेशक(कों) और विदेशी प्रवर्तक(कों) द्वारा धारित प्रदत्त ईक्विटी शेयर पूँजी की मात्रा; तथा

(ii) ऐसे विदेशी निवेशक(कों) या विदेशी प्रवर्तक(कों) द्वारा इस विनियम के उप-खंड (i) में उल्लिखित रूप में भारतीय प्रवर्तक(कों) या भारतीय निवेशक(कों) में स्वयं अथवा अपनी सहायक कंपनियों के माध्यम से धारित या नियंत्रित प्रदत्त ईक्विटी शेयर पूँजी का अनुपात।

बशर्ते कि खंड (ii) विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खंड (i) के उप-खंड (ii) और (iv) में उल्लिखित भारतीय प्रवर्तक अथवा भारतीय निवेशक पर लागू नहीं होगा।

परंतु आगे यह भी शर्त होगी कि खंड (ii) किसी सूचीबद्ध भारतीय बीमाकर्ता के भारतीय प्रवर्तक या भारतीय निवेशक पर लागू नहीं होगा जहाँ ऐसे भारतीय प्रवर्तक या भारतीय निवेशक भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) और/या राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा विनियमित हैं।

18. आवेदकों एवं बीमाकर्ताओं से अपेक्षित है कि वे इस अध्याय में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का पालन, जैसा लागू हो, करें।

अध्याय 3: शेयरों का अंतरण

19. शेयरों के अंतरण के लिए पूर्व-अनुमोदन की अपेक्षाः

किसी भी बीमा कंपनी के शेयरों के अंतरण अथवा उसकी ईक्विटी पूँजी के निर्गम का पंजीकरण निम्नलिखित स्थितियों में सक्षम प्राधिकारी के पूर्व-अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगाः

क. जहाँ अंतरण के बाद, बीमा कंपनी के शेयरों में अंतरिती की प्रदत्त ईक्विटी पूँजी धारिता बीमा कंपनी की प्रदत्त ईक्विटी पूँजी के पाँच प्रतिशत से अधिक होने की संभावना है तथा कोई भी परवर्ती अंतरण जहाँ अंतरिती की शेयरधारिता एक वित्तीय वर्ष में बीमाकर्ता की प्रदत्त ईक्विटी पूँजी के अतिरिक्त 5% से अधिक हो जाती है।

ख. किसी वैयक्तिक फर्म, किसी समूह के समूह घटक या एक ही प्रबंधन के अंतर्गत निगमित निकाय द्वारा अंतरण किये जाने हेतु उद्दिष्ट शेयरों का अंकित मूल्य संयुक्त रूप से अथवा अलग-अलग बीमा कंपनी की प्रदत्त ईक्विटी पूँजी के एक प्रतिशत से अधिक है तथा अंतरणकर्ता द्वारा किसी भी अनुवर्ती अंतरण के लिए जहाँ बीमा कंपनी की प्रदत्त ईक्विटी पूँजी एक वित्तीय वर्ष में प्रदत्त ईक्विटी पूँजी के 1% से अधिक है।

20. पूर्व-अनुमोदन प्राप्त करने का तरीकाः

i. **विनिर्दिष्ट फार्म में आवेदनः** अधिनियम की धारा 6ए के उपबंधों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व-अनुमोदन की अपेक्षा करते हुए आवेदन सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाविनिर्दिष्ट फार्म(फार्मों) में प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके साथ आवश्यक दस्तावेज तथा प्रस्तावित अंतरिती, उसकी वित्तीय स्थिति, उन निधियों के स्रोत जिनसे प्रस्तावित निवेश का किया जाना उद्दिष्ट है, का पूरा विवरण दिया जाएगा।

ii. **लाभकारी शेयरधारिता के संबंध में घोषणाः** शेयरों के अंतरण के लिए आवेदन के साथ प्रस्तावित शेयरधारक से इस आशय की घोषणा कि क्या शेयर अपने स्वयं के लाभ के लिए धारित करने का प्रस्ताव है या एक नामिती के रूप में, चाहे अन्यों की ओर से संयुक्त रूप से या पृथक् रूप से, तथा अन्यों की ओर से होने की स्थिति में हिताधिकारी स्वामी या स्वामियों का नाम, व्यवसाय और पता, एवं प्रत्येक के लाभकारी हित की सीमा के विवरण सहित दी जाएगी।

iii. **व्यापारी बैंकर द्वारा प्रमाणपत्रः** शेयरों के अंतरण के लिए आवेदन के साथ सेबी के अंतर्गत पंजीकृत श्रेणी-I व्यापारी बैंकर से प्राप्त बीमाकर्ता के प्रति शेयर उचित मूल्य को प्रमाणित करनेवाला एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाएगा। ऐसा प्रमाणपत्र आवेदन की तारीख से 30 दिन पहले जारी नहीं किया जाना चाहिए।

iv. **प्रसंस्करण शुल्कः** शेयरों के अंतरण के लिए सक्षम प्राधिकारी के पूर्व-अनुमोदन की अपेक्षा करनेवाले प्रत्येक आवेदन के साथ लागू करों सहित पाँच लाख रुपये के वापस न करने योग्य शुल्क के भुगतान का सबूत प्रस्तुत किया जाएगा।

बशर्ते कि उपर्युक्त शुल्क लागू करों के साथ पचास लाख रुपये होगा, जहाँ शेयरधारिता का अंतरण बीमा कंपनी की प्रदत्त ईक्वीटी पूँजी के पचास प्रतिशत से अधिक है।

21. **समुचित सावधानीः** सक्षम प्राधिकारी अधिनियम की धारा 6ए की उप-धारा (4) के उपबंधों के अधीन शेयरों के अंतरण के पंजीकरण अथवा प्रस्तावित अंतरिती को शेयरों के निर्गम के लिए अनुमोदन प्रदान करने से पहले, प्रस्तावित अंतरिती के संबंध में आवश्यक समुचित सावधानी संचालित करेगा।

22. **अनुमोदन के लिए शर्तें :** सक्षम प्राधिकारी अपना अनुमोदन प्रदान करने से पहले अंतरिती पर ऐसी शर्तें विनिर्दिष्ट करेगा, जैसा कि वह उपयुक्त समझेगा।

23. सूचीबद्ध बीमा कंपनियों के मामले में शेयरों का अंतरणः

(क) किसी सूचीबद्ध बीमाकर्ता की प्रदत्त ईक्विटी पूँजी के 1% से अधिक, परंतु 5% से कम का अंतरणः

i. प्रत्येक व्यक्ति जो बीमाकर्ता की प्रदत्त ईक्विटी शेयर पूँजी के एक प्रतिशत या उससे अधिक, परंतु पाँच प्रतिशत से कम का अंतरण करने के लिए कोई अंतरण करना अथवा कोई व्यवस्था करना अथवा करार करना चाहता है, इस प्रकार बीमाकर्ता के पास अधिग्राहक के योग्य और उपयुक्त (फिट एण्ड प्रोपर) का स्वयं-प्रमाणीकरण करने के अधीन कर सकता है।

ii. बीमाकर्ता के पास ऐसी फाइलिंग को अधिनियम की धारा 6ए(4)(बी)(iii) के प्रयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी के माने गये अनुमोदन के रूप में समझा जाएगा।

iii. लेनदेन का निष्पादन होने पर अंतरणकर्ता बीमाकर्ता को तत्काल सूचित करेगा। अंतरणकर्ता से अपेक्षित है कि वह प्रदत्त पूँजी के कुल 1 प्रतिशत से अधिक होनेवाले किसी भी अंतरण(णों) के लिए अनुपालन सुनिश्चित करे।

(ख) किसी सूचीबद्ध बीमाकर्ता की प्रदत्त ईक्विटी पूँजी के 5% या उससे अधिक का अधिग्रहणः

i. प्रत्येक व्यक्ति, जो अधिग्रहण करना अथवा अधिग्रहण के लिए व्यवस्था या करार करना चाहता है जो ऐसे व्यक्ति की समग्र धारित राशि को बीमाकर्ता की प्रदत्त ईक्विटी शेयर पूँजी के पाँच प्रतिशत या उससे अधिक तक ले जाता है या ले जाने की संभावना है, विनिर्दिष्ट तरीके से सक्षम प्राधिकारी के पूर्व-अनुमोदन की अपेक्षा करेगा।

ii. ऐसे व्यक्ति के द्वारा बीमाकर्ता की प्रदत्त पूँजी के दस प्रतिशत तक बीमाकर्ता के शेयरों के किसी भी अनुवर्ती अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी का पूर्व-अनुमोदन आवश्यक नहीं है।

(ग) उपर्युक्त किसी बात के होते हुए भी, जब अधिग्रहण या समग्र धारित राशि पाँच प्रतिशत से कम होने का प्रस्ताव है तब भी तथा यदि बीमाकर्ता को संदेह है कि बीमाकर्ता में नियंत्रक हित प्राप्त करने के उद्देश्य से व्यक्तियों या समूहों के द्वारा वास्तविक प्रयोजन को छिपाने के लिए पाँच प्रतिशत की उच्चतम सीमा से अधिक हासिल करने के लिए संदिग्ध पद्धतियों का अनुसरण किया गया है, तो संबंधित बीमाकर्ता के द्वारा प्राधिकरण का ध्यान इस ओर दिलाया जाएगा। ऐसे मामलों में, सक्षम प्राधिकारी के लिए यह उचित होगा कि ऐसे शेयरधारकों से समुचित सावधानी तथा योग्य और उपयुक्त (फिट एण्ड प्रोपर) के अनुपालन की अपेक्षा करे।

24. अंतरण की सीमा का निर्धारणः

(क) शेयरों के अंतरण या अधिग्रहण की गणना करने के प्रयोजन के लिए, उन परिदृश्यों में जहाँ अंतरण एक या उससे अधिक पक्षकारों के नाम निष्पादित किया जाता है, चाहे एक एकल अथवा अनेक लेनदेनों में जिनका कुल जोड़ एक प्रतिशत या पाँच प्रतिशत से अधिक हो, एक निर्दिष्ट वित्तीय वर्ष के दौरान किये गये संचयी अंतरणों पर विचार किया जाएगा। तदनुसार, जब भी एक निर्दिष्ट वित्तीय वर्ष में अंतरणों के विनिर्दिष्ट सीमाओं से अधिक होने की संभावना है, वहाँ संबंधित संस्था सक्षम प्राधिकारी का पूर्व-अनुमोदन प्राप्त करने के दायित्व के अधीन होगी।

(ख) सूचीबद्ध कंपनियाँ : शेयर बाजारों में सूचीबद्ध कंपनियों के मामले में

i. ऊपर (क) पर निर्दिष्ट उपबंध केवल प्रवर्तकों या प्रवर्तक समूह के संबंध में ही लागू होंगे।

ii. अंतरण में वर्तमान शेयरधारकों के द्वारा सेबी (पूँजी निर्गम और प्रकटीकरण की अपेक्षाएँ) विनियम के अनुसार विक्रय के लिए प्रस्ताव शामिल होगा, चाहे ऐसा शेयरधारक प्रवर्तक या प्रवर्तक समूह का अंग हो या न हो।

25. बीमा कंपनी के शेयरों की गिरवीः अधिनियम की धारा 6ए(4)(बी) और इस अध्याय में निहित रूप में शेयरों के अंतरण से संबंधित उपबंध आवश्यक परिवर्तनों सहित किसी

बीमा कंपनी के शेयरों के संबंध में गिरवी अथवा किसी भी अन्य प्रकार के ऋण-भार के निर्माण पर लागू होंगे।

26. रिपोर्टिंग की अपेक्षाएँ :

i. प्रत्येक बीमाकर्ता जिसे अधिनियम के अधीन पंजीकरण प्रदान किया गया है, प्रत्येक तिमाही की समाप्ति से 30 दिन के अंदर प्राधिकरण को एक विनिर्दिष्ट फार्मेट में प्रवर्तक की शेयरधारिता के 1% से अधिक परिवर्तन निर्दिष्ट करते हुए एक विवरण प्रस्तुत करेगा। तथापि, प्रवर्तकों की शेयरधारिता के 5% से अधिक कोई भी परिवर्तन प्राधिकरण को तत्काल सूचित किया जाएगा।

ii. प्रत्येक बीमाकर्ता तिमाही आधार पर एक घोषणा फाइल करेगा कि उसके प्रवर्तक और निवेशक `योग्य और उपयुक्त' (फिट एण्ड प्रोपर) हैं।

iii. बीमा कंपनियाँ प्राधिकरण को तत्काल सूचित करेंगी यदि अधिनियम के उपबंधों, उसके अधीन बनाये गये विनियमों और दिशानिर्देशों एवं उनके अधीन जारी किये गये किन्हीं परिपत्रों के उपबंधों के संबंध में कोई अननुपालन पाया जाता है।

iv. अधिनियम की धारा 26 के अनुसार, बीमाकर्ता प्राधिकरण को निम्नलिखित विषयों को प्रभावित करनेवाले किसी भी परिवर्तन के घटित होने या किये जाने पर उसका विवरण तत्काल प्रस्तुत करेगाः

क. प्रवर्तक की शेयरधारिता के संबंध में निर्मित किया गया कोई भी ऋण-भार,

ख. प्रवर्तक के नियंत्रण का कोई भी परिवर्तन,

ग. प्रवर्तक के विरुद्ध की गई कोई भी दंडात्मक या विनियामक कार्रवाई,

घ. समय-समय पर विनिर्दिष्ट किये जानेवाले कोई अन्य विषय।

27. उल्लंघन या अननुपालन के लिए कार्रवाई

सक्षम प्राधिकारी के पूर्व-अनुमोदन के बिना, शेयरधारकों के द्वारा निर्धारित प्रारंभिक सीमाओं से अधिक निष्पादित किये गये शेयरों के अंतरण की स्थिति में, विनियामक कार्रवाई आवश्यक होगी तथा;

i. अंतरिती को बीमा कंपनी की किसी भी बैठक में मतदान के कोई अधिकार प्राप्त नहीं होंगे।

ii. अंतरिती विनिर्दिष्ट प्रारंभिक सीमा से अधिक अधिगृहीत अतिरिक्त शेयरों का शीघ्र निपटान करेगा।

अध्याय 4: शेयर बाजार में बीमाकर्ता के ईक्विटी शेयरों की सूचीबद्धता

28. बीमाकर्ता निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर वर्तमान शेयरधारकों के द्वारा ईक्विटी शेयरों के निर्निहितीकरण (डाइवेस्टमेंट) या बीमाकर्ताओं द्वारा शेयरों के नये निर्गम अथवा दोनों के द्वारा, उपर्युक्त विनियमों द्वारा विनियमित शेयर बाजार(रों) में अपने ईक्विटी शेयरों की सूचीबद्धता के लिए किसी भी वित्तीय क्षेत्र विनियमनकर्ता से संपर्क कर सकता हैः

i. बीमाकर्ता इस बात से संतुष्ट है कि ईक्विटी शेयरों की ऐसी सूचीबद्धता पालिसीधारकों के हित में है।

ii. बीमाकर्ता उपर्युक्त वित्तीय क्षेत्र विनियमनकर्ता(ओं) की विनियामक शर्तों का पालन करने के लिए समर्थ है।

iii. ईक्विटी शेयरों की सूचीबद्धता और शेयर बाजार(रों) का उपयोग पूँजी जुटाने या शेयरों का अंतरण करने के लिए नहीं किया जाएगा जो अन्यथा लागू विनियामक उपबंधों का उल्लंघन होगा।

iv. प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किये गये सभी विनियामक उपबंधों का अनुपालन अक्षरशः किया जाएगा।

v. बीमाकर्ता विक्रय के लिए प्रस्ताव हेतु शेयरों के अंतरण और/या शेयरों के नये निर्गम के लिए, जैसा आवश्यक हो, इन विनियमों के विनियम 19 के साथ पठित अधिनियम की धारा 6ए के अनुसार अनुमोदन की अपेक्षा करेगा।

बशर्ते कि अंतरिती के विवरण का प्रस्तुतीकरण अधिदेशात्मक (मैंडेटरी) नहीं होगा।

vi. साधारण बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 10क के अंतर्गत विनिर्दिष्ट बीमाकर्ता उपर्युक्त अधिनियम की धारा 10ख के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

vii. बीमाकर्ता अपने शेयरों की सूचीबद्धता के लिए किसी वित्तीय क्षेत्र विनियमनकर्ता के साथ संपर्क करने से कम से कम 15 दिन पहले प्राधिकरण के पास सूचना फाइल करेगा। उपर्युक्त विषय में परवर्ती प्रगति के संबंध में बीमाकर्ता प्राधिकरण को सूचित करता रहेगा।

viii. इस अध्याय के अंतर्गत बीमाकर्ता द्वारा फाइल किये गये किन्हीं दस्तावेजों अथवा ईक्विटी शेयरों की प्रस्तावित सूचीबद्धता के संबंध में बीमाकर्ता और प्राधिकरण के बीच किसी भी पत्रादि को किसी भी प्रकार से तथ्यों, अभ्यावेदनों, अभिकथनों अथवा प्रस्ताव दस्तावेजों में लिखित किसी भी बात के संबंध में प्राधिकरण द्वारा वैधीकरण के रूप में नहीं समझा जाएगा या उस रूप में उनका

उपयोग नहीं किया जाएगा। यह तथ्य प्रस्ताव दस्तावेज में मोटे अक्षरों में प्रकट किया जाएगा।

ix. विनिर्दिष्ट की जानेवाली ऐसी अन्य शर्तें।

अध्याय 5: बीमा व्यवसाय का समामेलन और अंतरण

29. बीमाकर्ता के बीमा व्यवसाय का किसी अन्य बीमाकर्ता को अंतरण अथवा किसी अन्य बीमाकर्ता के बीमा व्यवसाय के साथ समामेलन इस अध्याय में विनिर्दिष्ट पद्धति में अधिनियम की धारा 35 के अधीन तैयार की गई और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित योजना के अनुसार करने को छोड़कर अन्य प्रकार से नहीं किया जाएगा।

बशर्ते कि यह विनियम उन कंपनियों पर लागू नहीं होगा जो साधारण बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 के दायरे में आती हैं।

परंतु आगे यह भी शर्त होगी कि भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रति इस विनियम की प्रयोज्यता भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अधीन होगी।

परंतु आगे यह भी शर्त होगी कि यह विनियम अधिनियम की धारा 37ए के अधीन प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई योजना के मामले में लागू नहीं होगा।

30. इस अध्याय के प्रयोजन के लिएः

i. **`नियत दिनांक'** से नियत दिनांक के रूप में योजना में विनिर्दिष्ट दिनांक अभिप्रेत होगा।

ii. **`विलयित संस्था'** से उक्त योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप परिणामी भारतीय बीमा कंपनी अभिप्रेत है।

iii. `योजना' से बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 35 और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230-232 के अधीन बनाई गई तथा बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 37ए के अधीन नियंत्रित नहीं की जानेवाली समामेलन और अंतरण की योजना अभिप्रेत है।

iv. `लेनदेन करनेवाले बीमाकर्ता' से `अंतरणकर्ता बीमाकर्ता' और `अंतरिती बीमाकर्ता' अभिप्रेत हैं।

v. `अंतरणकर्ता बीमाकर्ता' से वह बीमाकर्ता अभिप्रेत है या वे बीमाकर्ता अभिप्रेत हैं जिसका या जिनका समामेलन `अंतरिती बीमाकर्ता' के साथ किया जाएगा अथवा जो समामेलन और अंतरण की योजना के अंतर्गत बीमा व्यवसाय के उत्तरदायित्व का अंतरण `अंतरिती बीमाकर्ता' को करेगा या करेंगे।

vi. `अंतरिती बीमाकर्ता' से वह बीमाकर्ता अभिप्रेत है जिसमें `अंतरणकर्ता बीमाकर्ता' का समामेलन करना प्रस्तावित है अथवा जो समामेलन और अंतरण की योजना के अंतर्गत बीमा व्यवसाय के(के) दायित्व(दायित्वों) को अधिगृहीत करेगा।

31. प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जानेवाला आवेदनः

i. लेनदेन करनेवाले बीमाकर्ता समामेलन और अंतरण के स्वरूप के विवरण के साथ, उसके लिए कारणों सहित, उक्त योजना के कार्यान्वयन के लिए आवेदन करने के आशय की सूचना और विनिर्दिष्ट किये जानेवाले दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे।

ii. लेनदेन करनेवाले बीमाकर्ता प्राधिकरण के पास आशय की सूचना फाइल करने के तत्काल बादः

क. समामेलन अथवा अंतरण, जैसी स्थिति हो, के स्वरूप और शर्तों का विवरण समाचार-पत्र (कम से कम एक राष्ट्रीय दैनिक और एक क्षेत्रीय भाषा का दैनिक, जिनकी प्रतियाँ प्राधिकरण के पास फाइल की जाएँगी) में प्रकाशित करवाएँगे।

ख. प्रस्तावित योजना की प्रतियाँ पालिसीधारकों के द्वारा निरीक्षण के लिए लेनदेन करनेवाले बीमाकर्ताओं के पंजीकृत कार्यालय और मुख्य कारपोरेट कार्यालय में खुले तौर पर रखवाएँगे एवं साथ ही, इसे संबंधित बीमाकर्ताओं की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। ऐसे निरीक्षण और उपर्युक्त दस्तावेजों तक पहुँच को योजना का कार्यान्वयन समाप्त होने तक खुला रखा जाएगा।

ग. ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जो भारत का निवासी है और जो प्रस्तावित लेनदेन में संबंधित किसी भी बीमाकर्ता की किसी बीमा पालिसी का धारक है, उनके डिजिटल माध्यमों के भी द्वारा, निर्देशित किये जानेवाले फार्म में उक्त आवेदन की फाइलिंग की सूचना भेजेंगे।

iii. विनिर्दिष्ट किये जानेवाले फार्म में और विनिर्दिष्ट तरीके से सक्षम प्राधिकारी के `सिद्धांततः' अनुमोदन की अपेक्षा करते हुए आवेदन।

बशर्ते कि उक्त योजना को कार्यान्वित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के `सिद्धांततः' अनुमोदन की अपेक्षा करते हुए आवेदन इस विनियम के उप-खंड (i) में उल्लिखित रूप में आशय की सूचना की फाइलिंग की तारीख से केवल 2 महीने के बाद ही फाइल किया जाएगा।

iv. आवेदन की जाँच उपयुक्त समझे जानेवाले कारकों के आधार पर की जाएगी, जिनमें निम्नलिखित पर योजना का प्रभाव शामिल है, परंतु जो केवल यहीं तक सीमित नहीं है

क. योजना के कार्यान्वयन के बाद विलयित संस्था का उपलब्ध शोधन-क्षमता मार्जिन।

ख. अन्य प्रयोज्य विधियों और विनियमों का अनुपालन।

ग. पालिसीधारकों के हित।

घ. बीमा क्षेत्र में सुव्यवस्थित वृद्धि।

32. सक्षम प्राधिकारी द्वारा सिद्धांततः अनुमोदनः

i. सक्षम प्राधिकारी उपयुक्त समझे जानेवाले विषयों में संतुष्ट होने पर अपने द्वारा उपयुक्त समझी जानेवाली शर्तों के अधीन प्रस्तावित योजना के लिए सिद्धांततः अनुमोदन प्रदान कर सकता है।

ii. ऐसा सिद्धांततः अनुमोदन प्रदान करते समय तथा लेनदेन करनेवाले बीमाकर्ताओं द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन व्यवस्था की योजना के लिए एनसीएलटी का अनुमोदन प्राप्त करने से पहले की अवधि के दौरान, सक्षम प्राधिकारी, यदि आवश्यक हो, तो (क) पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए; (ख) अपने द्वारा उपयुक्त समझी जानेवाली आवधिकताओं पर सूचना/रिपोर्टों की फाइलिंग के लिए शर्तों सहित लेनदेन करनेवाले बीमाकर्ताओं की आस्तियों का वलयरोधन (रिंगफेन्सिंग) करने के लिए तथा (ग) उपयुक्त समझे जानेवाले कारणों से, अपने द्वारा आवश्यक और उपयुक्त समझे गये रूप में लेनदेन करनेवाले बीमाकर्ताओं पर अपेक्षाएँ लागू कर सकता है।

iii. अंतरिम अवधि के दौरान, योजना के पक्षकार यह सुनिश्चित करेंगे कि बीमा परिचालनों का संचालन बीमा अधिनियम, 1938, उसके अधीन बनाये गये विनियमों और सक्षम प्राधिकारी के द्वारा जारी किये गये निदेशों की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन करते हुए किया जाएगा।

iv. सक्षम प्राधिकारी का `सिद्धांततः' अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, योजना के संबंध में लेनदेन करनेवाले बीमाकर्ता अपेक्षित होनेवाले अन्य अनुमोदनों की अपेक्षा करने के लिए आवश्यक कदम उठाना प्रारंभ करेंगे जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं, परंतु केवल इन्हीं तक सीमित नहीं हैं :

क. कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अधीन बनाये गये नियमों के अंतर्गत सभी अपेक्षाओं के अनुपालन के अनुसार व्यवस्था की योजना के पुष्टीकरण

के लिए संबंधित उच्च न्यायालयों/न्यायाधिकरण (ट्रिब्युनल) के पास व्यवस्था की योजना (सक्षम प्राधिकारी के `सिद्धांततः' अनुमोदन के साथ) फाइल करना।

ख. आवश्यक अनुमोदनों, यदि कोई हों, की अपेक्षा करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के पास आवेदन फाइल करना।

ग. उन मामलों में जहाँ कोई विदेशी संयुक्त उद्यम का भागीदार भी लेनदेन में संबद्ध है, संबंधित अधिकार-क्षेत्र के विनियमनकर्ता से अनुमोदन, यदि ऐसा अनुमोदन आवश्यक है; तथा

घ. आवश्यक होनेवाले अन्य अनुमोदनों की अपेक्षा करना, जिनमें भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), शेयर बाजार(रों) और भारतीय प्रतियोगिता आयोग (सीसीआई) से अनुमोदन शामिल हैं।

33. **सक्षम प्राधिकारी द्वारा अंतिम अनुमोदन**

i. इन विनियमों के अंतर्गत प्रत्येक योजना का कार्यान्वयन केवल सक्षम प्राधिकारी का अंतिम अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही किया जाएगा।

ii. इस अध्याय में पूर्वोक्त विनियमों में निर्दिष्ट विभिन्न प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद तथा विभिन्न प्रयोज्य विनियामक प्राधिकारियों और संबंधित न्यायालय/ न्यायाधिकरणों (ट्रिब्युनल्स), जैसा लागू हो, से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत, लेनदेन करनेवाले बीमाकर्ता योजना के अंतिम अनुमोदन के लिए प्राधिकरण से संपर्क करेंगे।

iii. सक्षम प्राधिकारी उपयुक्त समझे जानेवाले विषयों में संतुष्ट होने पर योजना के लिए अपना अंतिम अनुमोदन प्रदान कर सकता है।

34. **अंतिम अनुमोदन का प्रभाव**

i. लेनदेन करनेवाले बीमाकर्ता सुनिश्चित करेंगे कि अंतिम रूप से यथाअनुमोदित योजना निम्नलिखित के लिए सुसंगत होगीः

क. बीमा अधिनियम, 1938 और उसके अधीन बनाये गये नियमों/विनियमों की अपेक्षाएँ

ख. अपना विनियामक अनुमोदन प्रदान करते समय सक्षम प्राधिकारी और/या अन्य सक्षम प्राधिकारियों द्वारा लगाई गई शर्तें, अपेक्षाएँ अथवा निर्धारण।

ii. योजना में परिकल्पित रूप में बीमा व्यवसाय का समामेलन और अंतरण ऐसी तारीख से प्रभावी होगा जैसी कि योजना के लिए अंतिम अनुमोदन प्रदान करते समय विनिर्दिष्ट की गई होगी।

iii. योजना अथवा उसके किन्हीं उपबंधों के परिचालित होने की तारीख को और उस तारीख से उक्त योजना या ऐसे उपबंध, लेनदेन करनेवाले बीमाकर्ताओं पर और लेनदेन करनेवाले प्रत्येक बीमाकर्ता के सभी शेयरधारकों, पालिसीधारकों और अन्य लेनदारों और कर्मचारियों पर, तथा लेनदेन करनेवाले किसी भी बीमाकर्ता के संबंध में कोई अधिकार या दायित्व रखनेवाले किसी भी अन्य व्यक्ति पर भी बाध्यकारी होंगे।

iv. योजना के परिचालन में आने की तारीख को और उस तारीख से अंतरणकर्ता बीमाकर्ता की संपत्तियाँ और आस्तियाँ योजना के कारण और योजना में व्यवस्थित सीमा तक अंतरिती बीमाकर्ता को अंतरित होंगी और उसमें निहित होंगी, तथा अंतरणकर्ता बीमाकर्ता की देयताएँ योजना के कारण और योजना में व्यवस्थित सीमा तक अंतरिती बीमाकर्ता को अंतरित होंगी और उसकी देयताएँ बनेंगी।

v. उक्त प्रक्रिया की समाप्ति के बारे में समाचार-पत्र में सूचना का प्रकाशन (कम से कम एक राष्ट्रीय दैनिक और एक क्षेत्रीय भाषा के दैनिक में, जिसकी प्रतियाँ प्राधिकरण के पास फाइल की जाएँगी)।

vi. अंतरिती बीमाकर्ता योजना के कार्यान्वयन के बाद विनिर्दिष्ट किये जानेवाले समय के अंदर विनिर्दिष्ट किये जानेवाले दस्तावेज और सूचना प्रस्तुत करेगा।

35. **प्राधिकरण की शक्तियाँ :**

i. सक्षम प्राधिकारी अपने द्वारा अनुमोदित की जा रही योजना में संबद्ध उपायों के संबंध में प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, उसके विनियामक उद्देश्यों, पालिसीधारकों के हितों और बीमा क्षेत्र की क्रमबद्ध वृद्धि को ध्यान में रखते हुए अपने द्वारा उपयुक्त समझे जानेवाले निदेश जारी कर सकता है।

ii. यदि योजना के उपबंधों को लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो सक्षम प्राधिकारी उक्त कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन से आदेश के द्वारा आवश्यक अथवा व्यावहारिक प्रतीत होनेवाले निदेश जारी कर सकता है।

iii. जीवन बीमाकर्ताओं के मामले में, यदि व्यवस्था के संबंध में समामेलन में संबंधित अंतरणकर्ता बीमाकर्ता(ओं) की बीमा और अन्य संविदाओं की राशि में कमी करना संबद्ध है, तो सक्षम प्राधिकारी उचित समझी जानेवाली ऐसी शर्तों पर और ऐसे निबंधनों के अधीन ऐसी संविदाओं की राशि कम करने की व्यवस्था का अनुमोदन कर सकता है, तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित रूप में संविदाओं की कमी विधिमान्य और संबंधित सभी पक्षकारों पर बाध्यकारी होगी।

iv. सक्षम प्राधिकारी प्रस्तावित योजना के लिए अंतिम अनुमोदन प्रदान करने से पहले किसी भी समय लेनदेन करनेवाले बीमाकर्ताओं के बीमा व्यवसाय (आस्तियों, देयताओं और शोधन-क्षमता को सम्मिलित करते हुए) का एक स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन करवा सकता है।

v. सक्षम प्राधिकारी योजना को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक होने के तौर पर अनुवर्ती आदेश भी पारित कर सकता है।

36. आवेदन के प्रसंस्करण के लिए वापस न करने योग्य शुल्क का भुगतान

i. लेनदेन करनेवाले बीमाकर्ताओं के द्वारा `सिद्धांततः' अनुमोदन के लिए आवेदन के प्रसंस्करण हेतु वापस न करने योग्य शुल्क प्राधिकरण को विप्रेषित किया जाएगा।

ii. उक्त शुल्क प्राधिकरण के पास `सिद्धांततः' अनुमोदन के लिए आवेदन फाइल करने के वर्ष से पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान लेनदेन करनेवाले बीमाकर्ताओं में से प्रत्येक बीमाकर्ता के द्वारा भारत में प्रत्यक्ष रूप से अंकित कुल सकल प्रीमियम के एक प्रतिशत का दसवाँ भाग होगा।

iii. लेनदेन करनेवाले प्रत्येक बीमाकर्ता के लिए, उक्त शुल्क पचास लाख रुपये के न्यूनतम के अधीन होगा, परंतु पाँच करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगा।

अध्याय 6: अधिनियम की धारा 37ए के अधीन समामेलन की स्थिति में शेयरधारकों या सदस्यों को क्षतिपूर्ति के निर्धारण का तरीका

37. इस अध्याय में उन शेयरधारकों अथवा सदस्यों के लिए क्षतिपूर्ति के निर्धारण का तरीका दिया गया है, अंतरिती बीमाकर्ता में जिनके हित या अंतरिती बीमाकर्ता के विरुद्ध जिनके अधिकार जो समामेलन से परिणत होते हैं, मूल बीमाकर्ता में उनके हितों या मूल बीमाकर्ता के विरुद्ध उनके अधिकारों से कम हैं।

38. इस अध्याय के प्रयोजन के लिएः

(क) "आस्तियाँ" में मूल बीमाकर्ता की संपत्तियो सहित सभी आस्तियाँ शामिल हैं जिनका अधिग्रहण योजना के अनुसार अंतरिती बीमाकर्ता के द्वारा किया जाएगा;

(ख) "नियत दिनांक" से अधिनियम की धारा 37ए की उप-धारा (4) के अनुसार सरकारी राजपत्र में उल्लिखित दिनांक अभिप्रेत है, जब समामेलन की योजना के उपबंध प्रवृत्त होंगे;

(ग) **"क्षतिपूर्ति"** से इन विनियमों के अनुसार प्राधिकरण द्वारा निर्धारित तथा शेयरधारकों या सदस्यों को नकद या वस्तु रूप में देय राशि अभिप्रेत है, समामेलन के परिणामस्वरूप अंतरिती बीमाकर्ता में जिनके हित, अथवा अंतरिती बीमाकर्ता के विरुद्ध जिनके अधिकार मूल बीमाकर्ता में जिनके हित या मूल बीमाकर्ता के विरुदध जिनके अधिकारों से कम हैं;

(घ) **"देयताएँ"** में मूल बीमाकर्ता की आकस्मिक देयताओं, यदि कोई हों, सहित देयताएँ शामिल हैं, जिनका अधिग्रहण अंतरिती बीमाकर्ता द्वारा योजना के अनुसार किया जाएगा;

(ङ) **"मूल बीमाकर्ता"** से वह बीमाकर्ता अभिप्रेत है, समामेलन की योजना के अनुसार जिसका समामेलन अंतरिती बीमाकर्ता के साथ किया जाता है;

(च) **"आस्तियों का अवशिष्ट मूल्य"** से नियत दिनांक से तत्काल पहले के दिन की स्थिति के अनुसार मूल बीमाकर्ता की आस्तियों के मूल्य से उसकी देयताओं की कुल राशि घटाकर उक्त आस्तियों के मूल्य के समान राशि अभिप्रेत है, जिसका परिकलन इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार किया गया हो;

(छ) **"समामेलन की योजना"** से प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई और अधिनियम की धारा 37ए के उपबंधों के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत और अधिसूचित योजना अभिप्रेत है;

(ज) **'शेयरधारक या सदस्य"** से नियत दिनांक से तत्काल पहले मूल बीमाकर्ता के शेयरधारक या सदस्य अभिप्रेत हैं जो समामेलन की योजना के अनुसार विनिर्दिष्ट किये जाते हैं;

(झ) **"अंतरिती बीमाकर्ता"** से वह बीमाकर्ता अभिप्रेत है जिसके साथ समामेलन की योजना के अनुसार मूल बीमाकर्ता समामेलित किया जाता है।

39. प्रत्येक व्यक्ति जो नियत दिनांक से तत्काल पहले मूल बीमाकर्ता के शेयरधारक या सदस्य के रूप में पंजीकृत है तथा अंतरिती बीमाकर्ता में निहित जिसके हित या अंतरिती बीमाकर्ता के विरुद्ध जिसके अधिकार मूल बीमाकर्ता में निहित जिसके हित या मूल बीमाकर्ता में निहित जिसके अधिकारों से कम हैं, इन विनियमों के अनुसार क्षतिपूर्ति के लिए पात्र है।

बशर्ते कि पात्र शेयरधारकों या सदस्यों के संबंध में ऐसी क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए केवल तभी विचार किया जाएगा जहाँ आस्तियों का अवशिष्ट मूल्य सकारात्मक है।

40. इन विनियमों के उपबंधों के अनुसार निर्धारित क्षतिपूर्ति का भुगतान नकद या वस्तु रूप में अथवा अंशतः नकद और अंशतः वस्तु रूप में किया जाएगा।

41. सक्षम प्राधिकारी मूल बीमाकर्ता के उन शेयरधारकों या सदस्यों को देय क्षतिपूर्ति का निर्धारण विनियम 42 के अनुसार गणना किये गये आस्तियों के अवशिष्ट मूल्य के आधार पर करेगा, अंतरिती बीमाकर्ता में जिनके हित अथवा अंतरिती बीमाकर्ता के विरुद्ध जिनके अधिकार मूल बीमाकर्ता में उनके हित अथवा मूल बीमाकर्ता के विरुद्ध उनके अधिकारों से कम हैं।

42. शेयरधारकों या सदस्यों को क्षतिपूर्ति के निर्धारण के लिए कार्यपद्धतिः

(क)अवशिष्ट मूल्य का प्रभाजन निम्नलिखित अधिमान-क्रम में किया जाएगाः

i. गौण कर्ज शीर्ष "अन्य प्रकार की पूँजी" के अंतर्गत;

ii. अधिमानी शेयर पूँजी शीर्ष "अन्य प्रकार की पूँजी" के अंतर्गत;

iii. मूल बीमाकर्ता के शेयरधारक या सदस्य।

स्पष्टीकरणः

i. अधिमान का क्रम केवल वहीँ लागू होगा जहाँ खंड (i) और (ii) के अंतर्गत देयताओं का अधिग्रहण अंतरिती बीमाकर्ता के द्वारा नहीं किया गया हो;

ii. आगे यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त खंड (क) और (ख) की स्थिति में किसी वर्ग के प्राप्तकर्ताओं के संबंध में उस वर्ग में समान रूप से आगम राशि के वितरण के प्रत्येक स्तर पर उक्त प्रत्येक वर्ग को भुगतान या तो पूर्णतः किया जाएगा या उसी वर्ग के प्राप्तकर्ताओं के अंदर समान अनुपात में किया जाएगा, यदि आगम राशि दायित्वों को पूरा करने में अपर्याप्त हो।

(ख) इस विनियम के उप-विनियम (क) के अनुसार प्राप्त शेष अवशिष्ट मूल्य का वितरण प्रत्येक पात्र शेयरधारक या सदस्य को ऐसे अनुपात में किया जाएगा जैसा कि ऐसे शेयरधारक या सदस्य द्वारा धारित शेयरों की प्रदत्त पूँजी की राशि मूल बीमाकर्ता की कुल प्रदत्त पूँजी को वहन करती है।

(ग) सक्षम प्राधिकारी द्वारा आस्तिय़ों के अवशिष्ट मूल्य की संगणना के प्रयोजन के लिए, "आस्तियाँ" निम्नलिखित का कुल जोड़ होंगीः-

(i) नियत दिनांक से तत्काल पहले हाथ में नकदी की राशि और किसी भी बैंक के पास शेष राशियों की राशि, चाहे जमा के रूप में हो या चालू खाते के रूप में, तथा माँग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि, विनिमय की बाजार दर पर परिवर्तित की जा रही भारत के बाहर धारित शेष राशि हो;

(ii) संबंधित मूल बीमाकर्ता द्वारा धारित किन्हीं प्रतिभूतियों, शेयरों, डिबेंचरों, बांडों और अन्य निवेशों का नियत दिनांक के तत्काल पहले विद्यमान बाजार मूल्य;

स्पष्टीकरण- इस खंड के प्रयोजन के लिए,-

(क)जहाँ किसी प्रतिभूति, शेयर, डिबेंचर, बांड या अन्य निवेश का बाजार मूल्य असाधारण कारकों द्वारा प्रभावित होने के कारण उचित नहीं माना जाता, वहाँ ऐसे निवेश का मूल्यांकन किसी युक्तिसंगत अवधि के दौरान उसके बाजार मूल्य के आधार पर किया जाए;

(ख) जहाँ किसी प्रतिभूति, शेयर, डिबेंचर, बांड या अन्य निवेश के बाजार मूल्य का पता नहीं लगाया जा सकता, वहाँ केवल ऐसे ही मूल्य को हिसाब में लिया जाएगा जो जारीकर्ता संस्था की वित्तीय स्थिति, पिछले पाँच वर्षों के दौरान उसके द्वारा अदा किये गये लाभांश और अन्य संगत कारकों का ध्यान रखते हुए उचित समझा जाएगा।

iii. अग्रिमों (ऋणों सहित), अन्य कर्जों, चाहे वे जमानती हों या गैर-जमानती, की राशि जहाँ तक वे उचित रूप से वसूलीयोग्य माने जाते हैं;

iv. किसी भूमि और भवनों का मूल्य;

v. सभी पट्टाधृत संपत्तियों के संबंध में भुगतान किये गये प्रीमियमों की कुल राशि, ऐसे प्रत्येक प्रीमियम के मामले में से ऐसी राशि घटाकर जो पट्टे की समाप्त अवधि की ही तरह ऐसे प्रीमियम के संबंध में उसी अनुपात का भार वहन करती है जिसके संबंध में ऐसा प्रीमियम अदा किया गया होगा, जो पट्टे की कुल अवधि के लिए वहन करता है;

vi. समस्त फर्नीचर, जुड़नारों और फिटिंगों का बहियों के अनुसार अंकित मूल्य अथवा उपयुक्त समझे गये रूप में प्राप्य मूल्य;

vii. मूल बीमाकर्ता की बहियों में प्रकट होनेवाली अन्य आस्तियों का बाजार या प्राप्य मूल्य, जैसा उपयुक्त हो।

(घ) सक्षम प्राधिकारी द्वारा आस्तियों के अवशिष्ट मूल्य की संगणना के प्रयोजन के लिए, "देयताएँ" निम्नलिखित का कुल मूल्य होंगी

i. नियत दिनांक को यथाविद्यमान सभी देयताएँ, और

ii. सभी आकस्मिक देयताएँ जिनका उन्मोचन अंतरिती बीमाकर्ता द्वारा समामेलन की योजना के अंतर्गत नियत दिनांक को या उसके बाद करना उचित रूप से प्रत्याशित है।

बशर्ते कि (i) जीवन बीमाकर्ता के मामले में पालिसीधारकों की देयताएँ; और (ii) साधारण बीमाकर्ता के मामले में आईबीएनआर और आईबीएनईआर देयताएँ एक स्वतंत्र बीमांकक द्वारा निर्धारित मूल्यांकन के आधार पर ली जाएँगी।

अध्याय 7: अन्य प्रकार की पूँजी

43. बीमाकर्ता इस अध्याय में विनिर्दिष्ट तरीके से `अन्य प्रकार की पूँजी' के निर्गम द्वारा निधियाँ जुटा सकता है।

44. "अन्य प्रकार की पूँजी" के लिए अर्हताः अधिमानी शेयर पूँजी या गौण कर्ज "अन्य प्रकार की पूँजी" के रूप में अर्हता-प्राप्त होंगे बशर्ते कि निम्नलिखित सभी मानदंड पूरे किये जाएँ :

i. लिखत अनिवार्यतः नकदी में जारी किये जाएँगे तथा पूर्णतः प्रदत्त होंगे;

ii. दावों की वरिष्ठता *क्रमशः* निम्नलिखित क्रम से नियंत्रित की जाएगीः

क. पालिसीधारकों के दावे;

ख. लेनदेरों के दावे;

ग. गौण ऋण धारकों के दावे;

घ. अधिमानी शेयरधारकों के दावे;

ङ. ईक्विटी शेयरधारकों के दावे।

iii. उक्त लिखत न तो बीमाकर्ता की गारंटी द्वारा और न ही अन्य व्यवस्थाओं के द्वारा रक्षित या कवर किये जाएँगे जो विधिक तौर पर दावों की वरिष्ठता को बढ़ाती हैं, जैसा कि इस अध्याय में विनिर्दिष्ट किया गया है।

iv. इस अध्याय के अंतर्गत बीमाकर्ता द्वारा जारी किये गये लिखतों की परिपक्वता अवधि निम्नानुसार होगीः

लिखत	जीवन बीमाकर्ता, साधारण बीमाकर्ता या पुनर्बीमाकर्ता	स्वास्थ्य बीमाकर्ता
अधिमानी शेयर पूँजी	दस वर्ष	सात वर्ष
गौण कर्ज	दस वर्ष	सात वर्ष

45."अन्य प्रकार की पूँजी" के निर्गम के लिए शर्तें : "अन्य प्रकार की पूँजी" का निर्गम निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगाः

(क) सभी लिखत अपरिवर्तनीय, पूर्णतः प्रदत्त और अरक्षित होंगे;

(ख) विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआईएस) या विदेशी संविभाग निवेशकों (एफपीआईएस) सहित विदेशी निवेशकों के द्वारा ऐसे लिखतों में निवेश निम्नलिखित के अधीन होगाः

i. एफआईआईएस और एफपीआईएस सहित सभी विदेशी निवेशकों के द्वारा समग्र निवेश फेमा अधिनियम, 1999, उसके अधीन जारी किये गये विनियमों अथवा अन्य किन्हीं निर्धारणों में विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक नहीं होगा;

ii. एफआईआईएस और एफपीआईएस सहित विदेशी निवेशकों को अधिमानी शेयरों और गौण कर्ज का निर्गम प्रयोज्य रूप में कीमत-निर्धारण संबंधी दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए होगा;

iii. उपर्युक्त लिखतों के निर्गम के संबंध में सेबी/ अन्य विनियामक प्राधिकरणों के द्वारा निर्धारित शर्तों और निबंधनों, यदि कोई हों, का अनुपालन किया जाएगा;

iv. भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी किये गये सभी निदेशों, अधिसूचना, आदेश आदि का अनुपालन;

v. एफडीआई के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा जारी किये गये निदेशों/अनुदेशों का अनुपालन;

vi. बीमाकर्ताओं को अपने गौण कर्ज केवल भारतीय शेयर बाजारों में ही सूचीबद्ध करने की अनुमति दी जाएगी;

vii. बीमाकर्ता इस अध्याय के अधीन `विक्रय विकल्प' (पुट आप्शन) के साथ कोई लिखत जारी नहीं करेंगे;

viii. विनिर्दिष्ट की जानेवाली कोई अन्य शर्त।

(ग) लिखतों के समयपूर्व मोचन के लिए अधिमानी शेयरधारकों और गौण कर्ज के धारकों को बीमाकर्ता द्वारा कोई प्रोत्साहन देय नहीं होगा।

(घ) अधिमानी शेयरधारकों को देय लाभांश की दर या गौण कर्ज धारकों को देय ब्याज की दर या तो एक नियत दर होगी या अस्थिर दर होगी। ऐसी दर बाजार निर्धारित रुपया ब्याज बेंचमार्क दर के संदर्भ में होगी।

(ङ) गौण कर्ज पर ब्याज लाभ-हानि लेखे में प्रभारित किया जाएगा तथा अधिमानी शेयरों पर लाभांश शेयरधारकों के वितरणयोग्य लाभ में से अदा किया जाएगा।

(च) बीमाकर्ता का शोधन-क्षमता मार्जिन नियंत्रण स्तर के ऊपर होगा।

(छ) अधिमानी शेयरों पर लाभांश के वितरण का निरस्तीकरण होने की स्थिति में अथवा गौण कर्ज की सर्विस देने में विफलता पर बीमाकर्ता पर ईक्विटी शेयरधारकों को लाभांश के वितरण को छोड़कर कोई अन्य प्रतिबंध लागू नहीं किया जाएगा।

(ज) बीमाकर्ता सभी विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करेगा जिनमें लागू होनेवाली कंपनी विधियाँ और सभी अन्य शर्तें शामिल हैं, परंतु जो इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

(झ) निर्धारित की जानेवाली अन्य शर्तें।

46. **पूर्व-अनुमोदनः** बीमाकर्ता के लिए किसी भी वित्तीय वर्ष में अधिमानी शेयरों के लिए लाभांश के अथवा किसी गौण कर्ज पर ब्याज के उपचय या भुगतान के लिए सक्षम प्राधिकारी का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित होगा यदिः

(क) शोधन-क्षमता मार्जिन शोधन-क्षमता के नियंत्रण-स्तर से कम है; या

(ख) ऐसे उपचय या भुगतान का प्रभाव प्राधिकरण द्‌वारा विनिर्दिष्ट विनियामक अपेक्षा से शोधन-क्षमता के नीचे आने या नीचे बने रहने में परिणत होगा; या

(ग) ब्याज के उपचय या भुगतान का प्रभाव निवल हानि अथवा निवल हानि में वृद्‌धि के रूप में परिणत होता है।

47. **रिपोर्टिंग की अपेक्षाएँ:** इन विनियमों के अधीन लिखत जारी करनेवाला बीमाकर्ता आबंटन की तारीख से 15 दिन के अंदर विनिर्दिष्ट किये जानेवाले विवरण सहित, इन लिखतों के निर्गम के द्‌वारा जुटाई गई निधियों का ब्योरा प्रस्तुत करेगा।

48. **तुलन-पत्र में वर्गीकरणः** बीमाकर्ता द्‌वारा तैयार किये जानेवाले तुलन-पत्र में इन विनियमों के अंतर्गत बीमाकर्ता द्‌वारा जारी किये गये लिखतों का वर्गीकरण निम्नानुसार किया जाएगाः-

(क) अधिमानी शेयर पूँजी के मामले में, संबंधित अनुसूची में शीर्ष "शेयर पूँजी" के अंतर्गत;

(ख) गौण कर्ज के मामले में, संबंधित अनुसूची में शीर्ष "उधार राशियाँ" के अंतर्गत;

(ग) यदि कोई लिखत प्रीमियम पर जारी किया गया है, तो प्राप्त प्रीमियम संबंधित अनुसूची में शीर्ष "प्रतिभूति प्रीमियम" के अंतर्गत दर्शाया जाएगा।

49. **प्रकटीकरणः** बीमाकर्ता इन विनियमों के अंतर्गत लिखतों के निर्गम के माध्यम से जुटाई गई राशि का प्रकटीकरण तैयार किये गये वार्षिक विवरणों का भाग बननेवाली लेखों की टिप्पणियों में निर्गम की शर्तों तथा परिपक्वता / मोचन अवधि के सारांश के साथ करेगा।

50. **लिखतों का प्रति-आह्वान (काल बैक)**

(क) `क्रय विकल्प' (काल आप्शन) के साथ लिखत का निर्गमः बीमाकर्ता इन विनियमों के अंतर्गत कोई लिखत इस शर्त के अधीन जारी कर सकता है कि निर्गम की तारीख से कम से कम पाँच पूर्ण वर्षों की अवधि के लिए लिखत के चालू रहने के बाद काल आप्शन का प्रयोग किया जा सकता है।

(ख) काल आप्शन का प्रयोगः बीमाकर्ता काल आप्शन का प्रयोग सक्षम प्राधिकारी का पूर्व-अनुमोदन प्राप्त किये बिना कर सकता है।

बशर्ते कि सक्षम प्राधिकारी का ऐसा पूर्व-अनुमोदन अपेक्षित होगा, यदि ऐसे काल आप्शन का प्रयोग करने के बाद बीमाकर्ता की शोधन-क्षमता की स्थिति शोधन-क्षमता मार्जिन के नियंत्रण स्तर से कम से कम 20% अधिक नहीं है (उदा. 1.50 + 1.50 का 20% = 1.8)।

(ग) काल आप्शन का प्रयोग करने के लिए बीमाकर्ता से उपर्युक्त परंतुक (ख) पर दिये गये रुप में प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करते समय सक्षम प्राधिकारी अन्य बातों के बीच, काल आप्शन का प्रयोग करने के समय और काल आप्शन का प्रयोग करने के बाद दोनों अवसरों पर बीमाकर्ता की शोधन-क्षमता स्थिति और भावी व्यवसाय योजनाओं को ध्यान में रखेगा।

(घ) बीमाकर्ता काल आप्शन का प्रयोग करने के संबंध में प्राधिकरण को उक्त विकल्प का प्रयोग करने की सूचना की तारीख से 15 दिन के अंदर सूचित करेंगे।

51. इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए, इसके द्वारा यह निश्चित रूप से स्पष्ट किया जाता है कि बीमाकर्ता के द्वारा ब्याज का भुगतान न करने और गौण कर्ज की मोचन राशि का भुगतान न करने पर इसे चूक करने की स्थिति के रूप में नहीं समझा जाएगा तथा यह चूक की सूचना की स्थिति में शामिल करने के लिए अर्हता-प्राप्त नहीं होगा।

52. लिखतों के अभिदाताः ऐसे लिखतों के निर्गम में विनिर्दिष्ट किये जानेवाले किसी भी व्यक्ति के द्वारा सभी अन्य प्रयोज्य विधियों के अनुपालन के अधीन अभिदान किया जा सकता है।

53. बीमाकर्ता द्वारा किसी अन्य बीमाकर्ता की "अन्य प्रकार की पूँजी" में निवेशः बीमाकर्ता किसी अन्य बीमाकर्ता द्वारा जारी की गई "अन्य प्रकार की पूँजी" में निम्नलिखित के अधीन निवेश कर सकता हैः

(क) ऐसे निवेश केवल "अन्य निवेश" के अंतर्गत ही वर्गीकृत किये जाएँगे।

(ख) ऐसे निवेश लागू विनियमों में यथाविनिर्दिष्ट एक्सपोज़र मानदंडों के अधीन होंगे।

(ग) ऐसे निवेश शोधन-क्षमता मार्जिन के नियंत्रण स्तर का निर्धारण करने के लिए स्वीकार्य आस्ति के रूप में अर्हता प्राप्त नहीं करेंगे।

बशर्ते कि बीमाकर्ताओं के अन्य प्रकार के पूँजी लिखतों में वर्तमान निवेश उपलब्ध शोधन-क्षमता के परिकलन के लिए लगातार तब तक स्वीकार किये जाएँगे जब तक ऐसे निवेशों का अंतरण / मोचन नहीं किया जाता।

(घ) एक सामान्य प्रवर्तक के होते हुए बीमाकर्ता किसी अन्य बीमाकर्ता की अन्य प्रकार की पूँजी में निवेश नहीं करेगा।

54. लिखतों की जमानत पर ऋण प्रदान करनाः बीमाकर्ता अपने द्वारा जारी किये गये लिखतों की जमानत पर कोई भी ऋण प्रदान नहीं करेंगे।

55. अन्य प्रकार की पूँजी के लिए सीमाः अन्य प्रकार की पूँजी के अंतर्गत एकसाथ लेते हुए लिखतों की कुल मात्रा किसी भी समय निम्नलिखित से कम होगीः

(क) बीमाकर्ता की कुल प्रदत्त ईक्विटी शेयर पूँजी और प्रतिभूति प्रीमियम का 50 प्रतिशत;

(ख) बीमाकर्ता की निवल मालियत (नेट वर्थ) का 50 प्रतिशत।

56. शोधन-क्षमता की संगणना के प्रयोजन के लिए लिखतों का परिशोधन

(क) यहाँ नीचे उप-विनियम (ख) में यथाविनिर्दिष्ट मार्जिन (हेयर कट) को घटाकर "अन्य प्रकार की पूँजी" के रूप में जारी किये गये लिखत बीमाकर्ता के "उपलब्ध शोधन-क्षमता मार्जिन" के लिए गिने जाएँगे।

(ख) उक्त लिखत परिपक्वता से पूर्व अंतिम पाँच वर्षों में सीधी रेखा के आधार पर "उपलब्ध शोधन-क्षमता मार्जिन" की संगणना के प्रयोजन के लिए प्रगामी हेयर कट के अधीन किये जाएँगे। तदनुसार, इस अध्याय के अंधीन जारी किये गये लिखत जैसे ही परिपक्वता तक पहुँचेंगे, बकाया शेष राशियाँ नीचे सारणी "क" में निर्दिष्ट रूप में पूँजी में शामिल किये जाने के लिए गिनी जाएँगीः

सारणी "क"

परिपक्वता के लिए शेष वर्ष	**उपलब्ध शोधन-क्षमता मार्जिन में सम्मिलित पूँजी का %**
5 वर्ष या उससे अधिक	100%
4 वर्ष और 5 वर्ष से कम	80%
3 वर्ष और 4 वर्ष से कम	60%
2 वर्ष और 3 वर्ष से कम	40%
1 वर्ष और 2 वर्ष से कम	20%
1 वर्ष से कम	0%

वस्तुतः केवल उपर्युक्त समायोजन करने के बाद प्राप्त राशि ही "उपलब्ध शोधन-क्षमता मार्जिन" में सम्मिलित करने के लिए पात्र होगी।

इसके अलावा, ऐसे हेयर कट का निर्धारण "परिपक्वता के लिए शेष वर्ष" के आधार पर प्रत्येक वित्तीय तिमाही के अंत में लागू किया जाएगा।

57. बीमाकर्ता के बोर्ड का दायित्व

(क) अधिमानी शेयरों के निर्गम के लिए, ऐसे अधिमानी शेयरों के निर्गम को प्राधिकृत करते हुए बीमाकर्ता के बोर्ड द्वारा एक संकल्प और बीमाकर्ता के शेयरधारकों की आम सभा में एक विशेष संकल्प पारित किया जाएगा;

(ख) किसी गौण कर्ज के निर्गम के लिए, ऐसे गौण कर्ज को प्राधिकृत करते हुए बीमाकर्ता के निदेशक बोर्ड द्वारा एक संकल्प पारित किया जाएगा;

(ग) बीमाकर्ता का निदेशक बोर्ड सुनिश्चित करेगा कि बीमाकर्ता के लिए अपनी पूँजी और/या शोधन-क्षमता की आवश्यकता पूरी करने हेतु उसके द्वारा अन्य प्रकार की पूँजी का निर्गम युक्तियुक्त है;

(घ) बीमाकर्ता जिसने अन्य प्रकार की पूँजी जुटाई है, का निदेशक बोर्ड निम्नलिखित को सुनिश्चित करेगाः

i. हर समय इन विनियमों का अनुपालन;

ii. गौण कर्ज के लिए ब्याज / कूपन दर अथवा अधिमानी शेयरों के लिए लाभांश दर का औचित्य।

अध्याय 8: विविध

58. **वार्षिक शुल्क**

i. बीमाकर्ता जिसे अधिनियम की धारा 3 के अधीन पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया गया है, प्राधिकरण को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए लागू करों के साथ एक वार्षिक शुल्क का भुगतान पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की 31 जनवरी से पहले करेगा।

ii. उक्त वार्षिक शुल्क निम्नलिखित से अधिक होगाः

क. दस लाख रुपये, या

ख. जिस वर्ष में वार्षिक शुल्क का भुगतान करना अपेक्षित है, उसके पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान भारत में बीमाकर्ता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अंकित कुल सकल प्रीमियम के एक प्रतिशत का बीसवाँ भाग अथवा पन्द्रह करोड़ रुपये, जो भी कम हो;

बशर्ते कि एकमात्र तौर पर पुनर्बीमा व्यवसाय करनेवाले बीमाकर्ता के मामले में, भारत में प्रत्यक्ष रूप से अंकित कुल सकल प्रीमियम के बदले, भारत में उसके द्वारा स्वीकृत विकल्पी (फैकल्टेटिव) पुनर्बीमा के संबध में कुल प्रीमियम हिसाब में लिया जाएगा।

iii. उक्त वार्षिक शुल्क भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के खाते में अदा किया जाएगा। उक्त वार्षिक शुल्क इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण की किसी भी मान्यताप्राप्त पद्धति के माध्यम से विप्रेषित किया जाएगा।

iv. यदि बीमाकर्ता उप-खंड (i) में विनिर्दिष्ट तारीख से पहले उक्त वार्षिक शुल्क जमा नहीं करता, तो सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित प्रकार से अर्थदंड के रूप में एक अतिरिक्त शुल्क के साथ वार्षिक शुल्क का भुगतान स्वीकार कर सकता हैः

क. वार्षिक शुल्क का दो प्रतिशत, यदि उक्त शुल्क वार्षिक शुल्क के भुगतान की अंतिम तारीख की समाप्ति के बाद 30 दिन के अंदर अदा किया जाता है; अथवा

ख. वार्षिक शुल्क का दस प्रतिशत, यदि उक्त शुल्क इस विनियम में निर्धारित भुगतान की अंतिम तारीख की समाप्ति के बाद, परंतु उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले जिसमें वार्षिक शुल्क का भुगतान करना अपेक्षित है, अदा किया जाता है।

v. यदि बीमाकर्ता ने उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले जिसमें वह अदा करने के लिए नियत है, उक्त शुल्क का भुगतान नहीं किया है, तो अधिनियम की धारा 3ए की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 3 के उपबंधों के अनुसार पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया जा सकता है।

59. **प्रमाणपत्र की अनुलिपि (डूप्लिकेट) का निर्गमः** सक्षम प्राधिकारी लागू करों के साथ पाँच हजार रुपये का शुल्क प्राप्त करने पर बीमाकर्ता को प्रमाणपत्र की एक अनुलिपि (डूप्लिकेट) जारी कर सकता है, यदि बीमाकर्ता विनिर्दिष्ट रूप में फार्म आईआरडीएआई/आर4 में प्राधिकरण को आवेदन प्रस्तुत करता है।

60. **पंजीकरण प्रमाणपत्र का निलंबन या निरसन**

(1) **बीमाकर्ता द्वारा पंजीकरण प्रमाणपत्र के स्वैच्छिक अभ्यर्पण के अनुसरण में पंजीकरण का निरसनः**

i. बीमाकर्ता उसे प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र अभ्यर्पित कर सकता है और विनिर्दिष्ट करनेवाली स्थितियों में उसे निरस्त करने के लिए प्राधिकरण से अनुरोध कर सकता है।

ii. प्राधिकरण उक्त अनुरोध की जाँच करने के बाद, बीमाकर्ता के पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण करने के लिए आवश्यक होनेवाली शर्तों के अधीन पंजीकण प्रमाणपत्र जारी कर सकता है।

(2) **पंजीकरण प्रमाणपत्र का निलंबन या निरसनः** अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत लगाये जानेवाले किसी दंड अथवा की जानेवाली किसी कार्रवाई पर विपरीत प्रभाव

डाले बिना सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी बीमाकर्ता का पंजीकरण निलंबित किया जा सकता है अथवा प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित परिस्थितियों के अंतर्गत एक आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की जानेवाली अवधि के लिए बीमा व्यवसाय की एक श्रेणी या उससे अधिक श्रेणियों के लिए निरस्त किया जा सकता हैः

i. बीमाकर्ता किसी भी समय सामान्य रूप से अधिनियम के किन्हीं उपबंधों का तथा विशेष रूप से अधिनियम की धारा 64वी और धारा 64वीए के उपबंध का अनुपालन नहीं करता।

ii. बीमाकर्ता परिसमापन में है अथवा एक दिवालिये के रूप में निर्णीत है।

iii. प्राधिकरण के अनुमोदन के बिना बीमाकर्ता के व्यवसाय या व्यवसाय की किसी श्रेणी का अंतरण किसी व्यक्ति को किया गया है अथवा किसी अन्य बीमाकर्ता के व्यवसाय के साथ समामेलन किया गया है।

iv. अधिनियम या किसी नियम या किसी विनियम या निदेश या आदेश की किसी अपेक्षा का अनुपालन करने में चूक, अथवा उसका उल्लंघन करते हुए कार्य, विशेष रूप से यदि बीमाकर्ताः

(क) पालिसीधारकों के हितों के लिए प्रतिकूल तरीके से अपने व्यवसाय का संचालन करता है;

(ख) अपने बीमा व्यवसाय के संबंध में प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित रूप में कोई सूचना प्रस्तुत नहीं करता;

(ग) अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित रूप में अथवा प्राधिकरण द्वारा निदेश दिये गये रूप में आवधिक विवरणियाँ प्रस्तुत नहीं करता;

(घ) प्राधिकरण द्वारा संचालित किसी जाँच में सहयोग नहीं करता;

(ङ) छलयोजित प्रथाओं में लिप्त है;

(च) अनुचित व्यापार पद्धतियों में लिप्त है;

(छ) विनियमों में विनिर्दिष्ट रूप में बुनियादी संरचना अथवा सामाजिक क्षेत्र में निवेश नहीं करता।

v. यह विश्वास करने के लिए प्राधिकरण के पास कारण हैं कि बीमे की किसी पालिसी के अंतर्गत भारत में बीमाकर्ता पर उत्पन्न होनेवाला कोई दावा नियमित न्यायालय में अंतिम निर्णय के बाद तीन महीने के लिए अदत्त रहा है,

vi. बीमा व्यवसाय की जिस श्रेणी के लिए या जिस किसी विनिर्दिष्ट व्यवसाय के लिए प्राधिकरण द्वारा पंजीकरण प्रदान किया गया है, उसे छोड़कर बीमाकर्ता कोई अन्य व्यवसाय संचालित करता है,

vii. बीमाकर्ता बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के अधीन प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये किसी निदेश या किये गये किसी आदेश, जैसी स्थिति हो, का अनुपालन करने में चूक करता है,

viii. बीमाकर्ता कंपनी अधिनियम, 2013 या साधारण बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1872 या विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 या धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 या उनके अधीन बनाये गये नियमों और/या विनियमों की किसी भी अपेक्षा का अनुपालन करने में चूक करता है अथवा ऐसी किसी अपेक्षा का उल्लंघन करते हुए कार्य करता है,

ix. बीमाकर्ता अधिनियम की धारा 3ए के अंतर्गत अपेक्षित वार्षिक शुल्क का भुगतान नहीं करता, अथवा

x. बीमाकर्ता या बीमाकर्ता का प्रवर्तक **अनुसूची 1** के अनुसार विनिर्दिष्ट `योग्य और उपयुक्त' (फिट एण्ड प्रोपर) मानदंड का अनुपालन नहीं कर रहा है; अथवा

xi. बीमाकर्ता फिलहाल प्रचलित किसी विधि के अधीन किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हैः

बशर्ते कि प्राधिकरण लिखित में दर्ज किये जानेवाले कारणों से, ऊपर उल्लिखित प्रकार की चूकें बार-बार करने की स्थिति में पंजीकरण प्रमाणपत्र के निरसन का दंड लगा सकता है।

(3) **पंजीकरण प्रमाणपत्र के निलंबन या निरसन की प्रक्रियाः** बीमाकर्ता का पंजीकरण प्रमाणपत्र विनिर्दिष्ट की जानेवाली प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए निलंबित या निरस्त किया जाएगा।

(4) **प्रमाणपत्र के निलंबन या निरसन का प्रभावः** पंजीकरण प्रमाणपत्र के निलंबन या निरसन की तारीख को और उस तारीख से बीमाकर्ता नया बीमा व्यवसाय करना समाप्त करेगाः

बशर्ते कि सक्षम प्राधिकारी बीमाकर्ता को इन विनियमों के अंतर्गत पारित किये गये आदेश में विनिर्दिष्ट की जानेवाली अवधि के लिए वर्तमान पालिसीधारकों को सेवा प्रदान करना जारी रखने के लिए निदेश दे सकता है।

(5) **आदेश का प्रकाशनः** इन विनियमों के विनियम 60(2) के अधीन पारित आदेश उस क्षेत्र में जहाँ बीमाकर्ता के व्यवसाय का प्रधान स्थान या पंजीकृत कार्यालय है, कम से कम दो दैनिक समाचारपत्रों में प्रकाशित किया जाएगा।

61. निरसन और बचत

(1) इन विनियमों के प्रवृत्त होने की तारीख से निम्नलिखित विनियम निरस्त किये जाएँगेः

i. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (अन्य प्रकार की पूँजी) विनियम, 2022

ii. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (अन्य प्रकार की पूँजी) विनियम, 2022

iii. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (समामेलन होने पर शेयरधारकों या सदस्यों को क्षतिपूर्ति के निर्धारण का तरीका) विनियम, 2021

iv. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (जीवन बीमा व्यवसाय को छोड़कर अन्य व्यवसाय करनेवाली भारतीय बीमा कंपनियों द्वारा पूँजी का निर्गम) विनियम, 2015

v. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (जीवन बीमा व्यवसाय करनेवाली भारतीय बीमा कंपनियों द्वारा पूँजी का निर्गम) विनियम, 2015

vi. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (जीवन बीमा व्यवसाय के समामेलन और अंतरण की योजना) विनियम, 2013

vii. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (साधारण बीमा व्यवसाय के समामेलन और अंतरण की योजना) विनियम, 2011

(2) जब तक इन विनियमों के द्वारा अन्यथा व्यवस्था नहीं की जाती, तब तक उप-विनियम (1) में उल्लिखित विनियमों के संबंध में किये गये किसी कार्य या की गई किसी कार्रवाई के संबंध में समझा जाएगा कि वह इन विनियमों के तदनुरूपी उपबंधों के अंतर्गत किया गया है या की गई है।

अनुसूची 1 - योग्य और उपयुक्त (फिट एण्ड प्रोपर) मानदंड

“योग्य और उपयुक्त” स्थिति का निर्धारण - आवेदकों, प्रवर्तकों और/या निवेशकों की “योग्य और उपयुक्त” स्थिति निर्धारित करने के लिए निदर्शी मानदंड

यह निर्धारित करने में कि क्या कोई व्यक्ति और/या संस्था बीमाकर्ता का प्रवर्तक या निवेशक होने के लिए "योग्य और उपयुक्त" है, सक्षम प्राधिकारी उपयुक्त रूप में सभी संगत कारकों को ध्यान में रख सकता है, जिनमें **निम्नलिखित शामिल हैं, परंतु जो केवल इन्हीं तक सीमित नहीं हैं :**

i. व्यक्ति या संस्था की सत्यनिष्ठा, प्रतिष्ठा और पिछला रिकार्ड।

1. प्रवर्तक या निवेशक की वित्तीय शक्ति।
2. व्यवसाय, शोधन-क्षमता और विनियामक अपेक्षाएँ पूरी करने के लिए पूँजी जुटाने की क्षमता।
3. धनशोधन निवारण अधिनियम, फेमा और कराधान कानून सहित भारत में सभी प्रयोज्य कानूनों का अनुपालन।
4. निधियों का स्रोतीकरण करने के लिए पूँजी या वित्तीय बाजारों तक पहुँच की क्षमता जो भविष्य में पूँजी जुटाने की किसी आवश्यकता के लिए उपयोगी हो सकती है।
5. व्यवसाय का रिकार्ड, व्यावसायिक और वित्तीय स्थिति तथा पिछला अनुभव।

ii. समुचित सावधानी

1. भारत में और/या भारत के बाहर, जैसा लागू हो, अन्य विनियामक निकायों द्वारा अनुमोदन या एनओसी;
2. प्रवर्तकों, निवेशकों या उसकी किसी समूह संस्था द्वारा भेदिया व्यापार, कपटपूर्ण या अनुचित व्यापार पद्धतियाँ या बाजार संबंधी छलयोजना;
3. भारत में या भारत के बाहर किसी विनियामक या सांविधिक या न्यायिक निकायों द्वारा व्यक्ति या संस्था या उसके किसी प्रवर्तक या समूह संस्था या उसके किसी केएमपी के विरुद्ध दोषसिद्धि सहित कार्यवाही।

iii. पालिसीधारकों और कुल मिलाकर जनसाधारण के हित।

iv. प्रबंधन और अभिशासन संरचना पर प्रभाव।

v. शेयरधारकों के बीच करार तथा नियंत्रण या प्रबंधन पर प्रभाव।

vi. प्रवर्तक या निवेशक की शेयरधारिता का स्वरूप और पूँजी विन्यास।

vii. निवेश के लिए निधियों का स्रोत।

viii. बीमाकर्ता तथा बीमाकर्ता के निवेशकों और प्रवर्तकों के शेयरों का हिताधिकारी स्वामित्व।

***

फार्म आईआरडीएआई/आर3

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

(प्राधिकरण की मुहर)

पंजीकरण प्रमाणपत्र

पंजीकरण संख्याः......xxx.......

प्रमाणित किया जाता है कि (बीमाकर्ता का नाम और पता)................(xxxx)......................... को बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 3 की उप-धारा (2ए) के उपबंधों के अनुसार आज दिनांक..........(xxx)..............को ....(xxx)....................श्रेणी का व्यवसाय करने के लिए पंजीकृत किया गया है।

हैदराबाद में आज दो हजार और...........(xxx).............के.................के............वें दिन प्रदान किया गया है।

हस्ताक्षर

(सक्षम प्राधिकारी)

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण